PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of I & B.
LIBRARY

18 SEP 1957

कुरुक्षेत्र

अगस्त १९५७

मूल्य :
२५ नये पैसे

बौद्ध धर्म सम्बन्धी दो सुन्दर पुस्तकें

बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष

इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्धमत की कहानी का संक्षिप्त लेखा है।

२५५ पृष्ठों की सचित्र पुस्तक का

मूल्य केवल ३·०० रु०

डाक व्यय ०·६२ नये पैसे

भारत के बौद्ध तीर्थ

भारत में बौद्ध तीर्थ व पवित्र स्थानों पर सचित्र पुस्तक। आकर्षक छपाई व सजधज।

१०८ पृष्ठों की इस सुन्दर पुस्तक का

मूल्य केवल २·०० रु०

डाक व्यय ०·७५ नये पैसे

मूल्य अग्रिम आना आवश्यक है। पोस्टल आर्डर भेजने से सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्य।

बिज़िनेस मैनेजर,

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, पो० बॉ० २०११, दिल्ली-८

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार 'योजना' नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों. बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नवनिर्माण का सन्देश पहुँचाना है और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। हमारी "आपकी राय" विभाग में जनता की आवाज़ गूँज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति का दस नये पैसे और वार्षिक मूल्य २·५० रु०। अपने पुस्तक विक्रेता से माँगें या लिखें:—

योजना,

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, पो० बॉ० २०११, दिल्ली

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] अगस्त १९५७ : श्रावण-भाद्र १८७९ [अंक १०

विषय-सूची

आवरण चित्र [**कलाकार : सुशील सरकार**]		
ग्रामदान-क्रान्ति	**श्रीमन्नारायण**	२
मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें—४	...	५
सहयोगियों की राय—		
सामुदायिक विकास-कार्यक्रम	...	७
सामुदायिक विकास-योजना	...	८
सामुदायिक योजना के दोष	...	९
बाढ़ों की समस्या	**डी० मेहता**	१०
विस्तार की परिभाषा	**जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव**	१२
चित्रावली	...	१५-१८
मुल्क को कैसे बनाएँ	**जवाहरलाल नेहरू**	१९
महारानी लक्ष्मीबाई	**लक्ष्मणराव दामोदरराव**	२२
टोंक विकास खण्ड की प्रगति	...	२४
प्रसिद्धी का प्रभाव	**प्रमोद माकोड़े**	२६
मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास	...	२७
सामुदायिक-संवाद	...	२९
श्रम-गीत [**कविता**]	**त्रिभुवनसिंह चौहान 'प्रेमी'**	३०
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[**सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग**]

उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ग्रोल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन,
दिल्ली—८ को लिखें।

सहकारी खेती की उत्तमता

महात्मा गान्धी

"आज जीवन के प्रत्येक विभाग में संसार एकीकृत अथवा सहकारी प्रयत्न के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। इस ओर काफी कुछ कार्य किया जा चुका है और किया जा रहा है; इसने हमारे देश में भी प्रवेश किया है, लेकिन ऐसे बिगड़े हुए रूप में कि उससे निर्धन लोग कोई लाभ नहीं उठा सके। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ, औसत कृषक की आराजियाँ दिनोंदिन कम होती जा रही हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत आराजियाँ छोटे-छोटे भागों में विभक्त हैं।.....

"मेरा विश्वास है कि सहकारी प्रयत्नों से हमें बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है।.....इसके पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि व्यक्तिगत ढंग पर अलग-अलग काम करने के ढंग ने हमारी अपनी तथा हमारे पशु-धन की दशा शोचनीय बना दी है। इस अत्यावश्यक परिवर्तन द्वारा ही हम अपने आपको तथा उन्हें बचा सकते हैं।

"मेरा यह भी पूर्ण विश्वास है कि हम कृषि से तब तक पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते, जब तक कि हम सहकारी खेती के तरीके को नहीं अपना लेते। क्या यह बात अधिक नहीं जचती कि एक गाँव में एक सौ परिवारों के लिए यह बेहतर है कि वे कुल भूमि को किसी भी तरह सौ भागों में विभक्त करने के बजाय, भूमि पर इकट्ठे खेती करें और उसकी आय को बाँट लें। और जो बात भूमि पर चरितार्थ होती है, वह पशु-धन पर भी बराबर लागू होती है।

"यह बिलकुल अलग प्रश्न है कि लोगों को सीधे ही इस प्रकार का जीवन अपनाने के लिए उत्साहित करना मुश्किल हो। सीधा और तंग रास्ता तय करना सदा ही कठिन होता है। लेकिन हम कठिनाइयों को पार करके ही रास्ते को आसान बनाने की आशा कर सकते हैं।.....वास्तव में, व्यक्ति भी अपनी स्वतन्त्रा को सहकारिता द्वारा ही सुरक्षित रख सकता है।"

ग्रामदान-क्रान्ति

श्रीमन्नारायण

भारत में भूमि सम्बन्धी समस्या कठिन, किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और इस समस्या को हल करने के लिए ग्रामदान आन्दोलन में निहित महान् सम्भावनाओं की ओर कालड़ी के सर्वोदय सम्मेलन ने एक बार फिर ध्यान आकृष्ट किया है। इस विषय पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में विकास-आयुक्तों के मसूरी सम्मेलन में भी कुछ विस्तार के साथ विचार हुआ था। इस सम्मेलन में प्रधान मन्त्री ने ग्रामदान आन्दोलन का स्वागत करते हुए आशा प्रगट की कि सहकारी खेती के प्रयोगों के लिए दान में प्राप्त गाँव एक आदर्श पृष्ठभूमि और उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकेंगे। कालड़ी सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर मुझे ग्रामदान आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर आचार्य विनोबा जी से विचार-विमर्श करने का मौका मिला था। अतः 'चलते फिरते सन्त' की इस नई क्रान्तिकारी कार्रवाई ही के बारे में आम जनता के सम्मुख स्पष्टतर चित्र प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

शुरू में, आचार्य विनोबा भावे ने लोगों से अपनी ज़मीन का १/६ भाग माँगा था, ताकि यह भूमि भूमिहीन किसानों को दी जा सके। इस प्रकार विनोबा जी ने अभी तक भूदान-यज्ञ द्वारा ४५ लाख एकड़ भूमि एकत्र की है। लेकिन, बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार, आगे चल कर उड़ीसा व तमिलनाड के कुछ गावों ने अपनी समूची छोटी-बड़ी आराजियाँ विनोबा जी को भेंट करना स्वीकार किया, ताकि वह जमीन भूमिहीन लोगों के बीच पुनः बाँटी जा सके। भूदान आन्दोलन का यह नया क्रम ही 'ग्रामदान' कहलाता है। विनोबा जी इस ग्रामदान आन्दोलन को एक गहरा महत्व रखने वाली महान् अहिंसक क्रान्ति समझते हैं। ज़रा सोचिए कि एक गाँव के सब काश्तकार आत्म-बलिदान तथा परस्पर सहयोग की भावना से प्रेरित हो अपनी सब ज़मीन भूदान में दे देते हैं और फिर अपने-अपने परिवारों के सदस्यों की संख्या के अनुपात में वापस जमीन पाते हैं। क्या इंसान के दिल और दिमाग को इस अद्भुत तरीके से बदलने से बढ़ कर और कोई भी क्रान्ति हो सकती है? कोरापुट, उड़ीसा के ग्रामदान में प्राप्त एक गाँव के एक आदमी को, जिसके पास ग्रामदान से पूर्व २४ एकड़ भूमि थी, पुनर्वितरण के पश्चात् ३॥ एकड़ भूमि मिली, जबकि एक ऐसे आदमी को, जिसके पास बिलकुल जमीन न थी, अपने

परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार ५ एकड़ प्राप्त हुई। और खूबसूरती तो यह है कि २४ एकड़ जमीन के मालिक ने समर्पण की भावना से साभार विनोबा जी के हाथों ३।। एकड़ भूमि प्राप्त की।

ग्रामदान में प्राप्त गाँव की ज़मीन का एक हिस्सा, कम से कम कुल ज़मीन का १/१० भाग, कृषि सहकारी समिति के रूप में सार्वजनिक खेती के लिए सुरक्षित रहता है। इस सार्वजनिक भूमि से प्राप्त लाभ पंचायत प्रशासन, ग्राम पाठशाला, प्रसूति चिकित्सा-गृह, सफाई-सुथराई, सांस्कृतिक गतिविधि और गाँव के मेले-त्योहारों जैसी सामुदायिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है। अगर गाँव की बिरादरी चाहे तो सारी जमीन को इकट्ठा कर सहकारी रूप में खेती की जा सकती है। विनोबा जी इस प्रकार की सहकारी खेती के पक्ष में हैं, यद्यपि वह यह कभी नहीं चाहते कि ग्रामवासियों की इच्छा के विरुद्ध गाँव की तमाम जमीन को एक साथ इकट्ठा किया जाए। अगर ग्रामसभा गाँव की समूची जमीन को आस-पास मिले हुए दो या तीन या चार टुकड़ों में बाँट कर सहकारी खेती करना चाहती है, तो कर सकती है। मुख्य बात यह है कि सहकारी खेत का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि देश में काम करनेवाले विभिन्न परिवारों के लोग आपस में निकट सामाजिक सम्पर्क कायम कर सकें। निस्सन्देह, सहकारी खेती ऐच्छिक होनी चाहि न कि ऊपर से थोपी जानी चाहिए। लेकिन, अगर ग्रामवासियों को सहकारी खेती के फायदे समझाएँ जाएँ और कुछ आदर्श खेतों पर प्रयोग किए जाएँ तो निश्चय ही ग्रामवासियों को सहकारी खेती से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का भरोसा हो जाएगा।

लेकिन, अगर सारे गाँव की जमीन को एक सहकारी खेत के रूप में एकत्र करना सम्भव न हो, तो विभिन्न परिवारों के लोगों को केवल खेती के लिए, न कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में, कुछ जमीनें दी जा सकती हैं। विभिन्न परिवारों को इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि न बेची जा सकती है और न रहन रखी जा सकती है। यह भूमि उन परिवारों के पास तभी तक रहेगी जब तक कि वह गाँव की बिरादरी की योजनाओं के अनुसार उचित रूप से खेती करते हैं। इन परिवारों से आशा की जाती है कि खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे कि हल चलाने, घासफूस साफ करने, फसल काटने, सिंचाई, खाद डालने और पैदावार को बेचने में सहकारी तरीकों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार की पारस्परिक सहायता को एक प्रकार की सहकारी खेती ही समझा जा सकता है। कुछ भी हो, ग्रामदान में प्राप्त गाँवों की जमीन बिरादरी की होगी न कि व्यक्तिगत परिवारों की। ग्रामसभा विभिन्न परिवारों से मालगुजारी वसूल कर सरकार को अदा करेगी।

विनोबा जी का मत है कि किसी खेत के आकार की वृद्धि के साथ ही जरूरी नहीं कि भूमि की उत्पादनशीलता भी बढ़ जाए।

सहकारी खेती की ओर

जवाहरलाल नेहरू

"कुछ सदस्यों द्वारा की गई इस आलोचना का मैं समर्थन करता हूँ कि कई राज्यों में भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बनाने का काम सुस्त—बहुत सुस्त रहा है। इसे काफी तेजी से किया जा सकता था, और मुझे उम्मीद है कि इसकी रफ्तार तेज की जाएगी।

"मेरा ख्याल है—और यही बात योजना आयोग ने निर्धारित की है और जिसे मेरे विचार में इस लोकसभा ने भी स्वीकृति दी है—कि खेती में तरक्की का रास्ता खेती या कृषि में सहकारिता द्वारा है। ठीक ही, कृषि-सहकारिता समितियों का प्रारम्भ एच्छिक और लोकतन्त्रात्मक तरीके से किया जा सकता है। उन्हें हम ज़बर्दस्ती लाद नहीं सकते। पर मैं यह दुहराता हूँ कि वे हमारे देश में, जहाँ आराजियाँ इतनी छोटी हैं, जरूरी हैं।

"सरकार बड़ी-बड़ी आराजियाँ पसन्द नहीं करती। वह इन आराजियों को एक सीमा में रखना चाहती है। लेकिन यह साफ है कि एक एकड़ या दो एकड़ की आराजियों पर आधुनिक तरीके और आधुनिक ढंग इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यही वजह है कि सहकारी समितियाँ जरूरी हैं। मैं हैरान हूँ कि योजना आयोग द्वारा ऐसा कहने और लोकसभा द्वारा बार-बार इस बात को मान्यता दिए जाने के बावजूद, शुबहे उठाए जाते हैं, और लोग कहते हैं: हाँ ये और मुल्कों के लिए काफी अच्छी सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए उपयुक्त नहीं।

"हमारे किसानों, हमारे गाँवों और हमारे उत्पादन के विकास तथा और कई बातों के लिए कृषि सहकारी समितियाँ जरूरी हैं। मैं मानता हूँ कि हम उन्हें कानून के जरिए तरक्की नहीं दे सकते। हमें अपने लोगों को समझाना है और उन्हें इस तरफ मायल करना है। हो सकता है कि हमें अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में काम शुरू करना पड़े, ताकि दूसरे लोग भी उसका नतीजा देखकर अनुसरण करें। लेकिन, आधाररूप से भारतीय किसान बुद्धमान व्यक्ति है, और मेरा ख्याल है कि वह सहकारी समितियों को अपनाएगा।"

भारत जैसे देश में घनी खेती जरूरी है। बेशक, आराजियाँ बहुत छोटी नहीं होनी चाहिएँ और न विभिन्न आराजियों के बीच मेंड़ लगा कर जमीन को बर्बाद होने देना चाहिए। दो आराजियों के बीच एक भिन्न रंग की फसल की पट्टी बोने का तरीका, जो कि दो जमीनों को विभाजन करने का एक जापानी तरीका है, भारत भी अपना सकता है। इसके अलावा, सहकारी तरीके, कृषि-प्रक्रियाओं और कार्यकलापों में अधिकाधिक प्रयुक्त किए जाने चाहिएँ। जहाँ कहीं गाँव की सारी बिरादरी एक सहकारी खेत के रूप में अपनी जमीन इकट्ठा करने को राजी हो, वहाँ हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उधार, सिंचाई, बेहतर बीज, आदि की ज़रूरी सुविधाएँ दे कर ग्रामसभा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामदान के इलाके में सामुदायिक विकास-योजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पाश्चात्य देशों में भूमि का सामूहीकरण मुख्यतः इसीलिए असफल हुआ कि वह लोगों पर उनकी मर्जी के खिलाफ लादा गया। अगर ग्रामदान में प्राप्त गाँवों में ऐच्छिक आधार पर सहकारी खेती हो तो वह निश्चय ही सफल होगी। मूल सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जनता में सहकारी खेती के प्रति पूरा उत्साह हो।

ग्रामदान में प्राप्त गाँवों में हर परिवार से एक प्रतिनिधि के आधार पर ग्राम सभाएँ स्थापित की जा रही हैं। इन ग्रामसभाओं में सहकारी खेती, कानूनी मामलों और अन्य विकास कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न उप-समितियाँ हैं। इन ग्राम सभाओं के निर्णय यथासम्भव सर्व सम्मति से होते हैं। विनोबा जी चाहते हैं कि सरकार और सामुदायिक विकास मन्त्रालय दान में प्राप्त गाँवों की मदद करें और सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की कार्रवाइयों का ग्रामदान विकास कार्य से समन्वय करें। विनोबा जी इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि विभिन्न राज्य सरकारें शीघ्र ही जरूरी कानून जारी करें, ताकि सरकारी ऋण पाने और ग्राम समुदाय द्वारा मालगुजारी इकट्ठा करने के लिए दान में प्राप्त गाँवों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो सके। इस समय ग्रामदान में प्राप्त गाँवों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ही कोई व्यक्ति ग्रामदान में अपनी सारी जमीन दे देता है, राज्य सरकार और सहकारी समितियाँ उसे तकावी ऋण या अन्य प्रकार के ऋण देने से इन्कार कर देती हैं। साथ ही, सरकार मालगुजारी इकट्ठा करने के लिए उस व्यक्ति पर बार-बार जोर डालती है। अगर सरकार दान में प्राप्त गाँवों को वैधानिक मान्यता प्रदान करती है और ग्राम समुदाय को ऋण देती है, तथा उसके द्वारा ही मालगुजारी इकट्ठा करती है, तो यह बाधाएँ भी दूर हो सकती हैं। यह खुशी की बात है कि विकास आयुक्तों के मसूरी सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार किया और जरूरी कानून जारी करवाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कहना निश्चित किया।

विनोबा जी बहुत उत्सुक हैं कि ग्रामदान में प्राप्त गाँव अब एक नई किस्म की जिन्दगी जीना शुरू कर दें। भूमि के पुनर्वितरण के फलस्वरूप जीवन की नई मान्यताओं की स्थापना होनी चाहिए। विनोबा जी ग्राम पुनर्निर्माण के निम्नलिखित चार पहलुओं पर खास जोर देते हैं (१) भूमि का समुचित पुनर्वितरण और सहकारी खेती, (२) ग्रामोद्योगों का विकास, (३) बुनियादी तालीम का प्रचलन, और (४) देशी पद्धतियों के आधार पर और स्थानीय जड़ी-बूटियों की मदद से ग्राम-स्वास्थ्य का आयोजन। भूदान, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालीम और स्वास्थ्य वे चार आधारशिलाएँ हैं, जिन पर अन्ततः ग्राम पुनर्निर्माण की हमारी इमारत को खड़ा करना होगा। विनोबा जी इस बात पर खास जोर देते हैं कि ग्रामवासियों को अपने विकास का स्वयं आयोजन करने के लिए अपनी निजी सूझ-बूझ और आत्म-विश्वास विकसित करने का मौका मिलना चाहिए। निश्चय ही, उनके प्रयासों में राज्य सरकारें सहायता देंगी। किन्तु एक बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है। अगर हम भारत में सच्चा लोकतन्त्र कायम करना चाहते हैं तो विनोबा जी के मतानुसार हमें ग्रामराज कायम करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। विनोबा जी ने कहा है: **"जिस हद तक ताकत सरकार से जनता के हाथों में आएगी, उसी हद तक अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी और राज्य की शक्ति क्रमशः क्षीण हो कर अन्त में लुप्त हो जाएगी।"**

तमिलनाड में आचार्य विनोबा कोशिश कर रहे हैं कि एक समूचा तालुका भूदान-यज्ञ में दान स्वरूप प्राप्त हो। इस प्रकार, भूदान और ग्रामदान आन्दोलन अधिकाधिक क्रान्तिकारी होता जा रहा है। दरअसल, अधिनायकवाद की चुनौती का यही एकमात्र कारगर और कहीं अधिक श्रेष्ठतर उत्तर है। यह तो जीवन की मूल मान्यताओं में क्रान्ति लाना है, और इस उद्देश्य प्राप्ति का साधन अहिंसा, लोकतन्त्र तथा हृदय-परिवर्तन है, न कि वर्ग-संघर्ष, घृणा और हिंसा। इसके अलावा, भूदान और ग्रामदान आन्दोलन जनता के सबसे पिछड़े हुए और गए-बीते भागों को छूने में सफल हुए हैं। सब लोग महसूस करने लगे हैं कि हमारी विकास योजना जनता के निम्नतम वर्ग की आर्थिक अवस्था सुधारने में सफल नहीं हुई। हम केवल उन्हीं को पेशगी रुपया देते हैं, जिनके पास जमीन है या अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति है। जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें सहायता के रूप में राज्य से प्रायः कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। ग्रामदान की क्रान्ति इस दशा में एक नया मार्ग प्रशस्त कर रही है। ग्रामराज की सहकारिता जनता के दरिद्रतम भाग की अनुभूत आवश्यकताओं को कार्यक्षम रूप से स्पर्श करने में समर्थ है। इसी दृष्टिकोण से ग्रामदान आन्दोलन को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

['आर्थिक समीक्षा' से]

मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें

: ४ :

सरकारी क्षेत्र

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, जिसमें विस्तार प्रणाली को प्रमुख रूप में अपनाया जाता है, निश्चय ही एक शिक्षा प्रणाली-सा है। इसलिए इस क्षेत्र में शिक्षा के सब साधनों को, जैसे शिविरों, गोष्ठियों, अध्ययन-यात्राओं, प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों और साहित्य के अध्ययन को अपनाना होगा। देश के विभिन्न भागों में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के बारे में जो जो ज्ञान और अनुभव होता है, उसे विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय बड़े उपयोगी ढंग से निरन्तर प्रकाशित करते रहते हैं। पर देखा यह गया है कि जिनके लिए यह साहित्य लिखा जाता है, प्रायः उन लोगों तक यह पहुँच नहीं पाता और यदि यह उन तक पहुँच भी जाए, तो भी यह जरूरी नहीं कि वे इसे पढ़ें और समझें भी सही। इस बात की तो सम्भावना और भी कम है कि वे इसे प्रयोग में लाएँगे। इस कमी को दूर करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास की आवश्यकता है।

कर्मचारियों की बैठकें और अध्ययन गोष्ठियाँ

चूँकि सामुदायिक विकास मन्त्रालय, अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित साहित्य का पूरा लाभ सामुदायिक विकास से सम्बद्ध व्यक्तियों को नहीं पहुँच पाता, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि :

(१) प्रतिमास खण्ड के जो कर्मचारी खण्ड के मुख्यालय में जाएँ, विभिन्न विषयों से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन और उसपर विचार-विमर्श के लिए उन्हें कम से कम आधा दिन सुरक्षित रखना चाहिए। विचार-विमर्श को नियमित अध्ययन गोष्ठी का रूप धारण करना चाहिए।

(२) प्रत्येक अध्ययन गोष्ठी की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण खण्ड विकास अधिकारी के पास रहना चाहिए जिसमें यह लिखा रहे कि कौन-सी किताब या किस किताब के कितने पृष्ठ पढ़े गए, किन बातों के बारे में विचार-विमर्श हुआ और क्या निष्कर्ष निकाले गए।

(३) यह भी कार्यवाही के विवरण में लिखा जाए कि अगली बैठक में कौन-सी पुस्तक पढ़ी जाएगी और किस विषय का अध्ययन और विचार-विमर्श किया जाएगा।

(४) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के विवरण के लिए अलग-अलग फाइल रखी जाए।

(५) इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्यालय खण्ड विकास अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दें और अध्ययन के लिए पुस्तकों के नाम भी सुझाएँ।

(६) उपर्युक्त सिफ़ारिशों के बारे में क्या कदम उठाए गए, इसकी देखभाल कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर और अन्य निरीक्षक अधिकारी करें।

(७) ग्राम सेवकों के लिए उपयोगी साहित्य को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाए।

विषय-वस्तु गोष्ठियाँ

(क) सामान्य गोष्ठियाँ होती तो रहें, पर उनकी संख्या कम कर दी जाए।

(ख) विषय-वस्तु विशेषज्ञों की गोष्ठियाँ निम्न स्तरों पर आयोजित की जाएँ :

(१) मण्डल (डिवीजन) स्तर पर। परन्तु जहाँ राजस्व मण्डल न हों वहाँ ६ से १० जिलों को मिला कर गोष्ठी की जाए,

(२) राज्य स्तर पर, और

(३) केन्द्र में।

साधारणतया प्रत्येक गोष्ठी में १०० व्यक्ति सम्मिलित हों, पर उनकी संख्या किसी भी दशा में १२५ से अधिक न हो।

(ग) गोष्ठी में निम्न व्यक्ति भाग लें :

६ से १० जिलों की गोष्ठी में :

(१) खण्ड और जिला स्तर के विषय-वस्तु विशेषज्ञ,

(२) सम्बद्ध विभागों के डिपुटी,

(३) जहाँ कहीं सम्भव हो, वहाँ विकास आयुक्तों के प्रतिनिधि,

(४) एक या दो जिला विकास अधिकारी या कलक्टर या डिप्टी कमिश्नर,

(५) प्रत्येक जिले से एक खण्ड विकास अधिकारी,

(६) प्रत्येक जिले से एक ग्राम सेवक,

(७) खण्ड विकास सलाहकार समिति, जिला सलाहकार समिति और पंचायतों के गैर सरकारी सदस्य, और

(८) ऐसे गैर सरकारी व्यक्ति जो विचाराधीन विषयों के बारे में विशेष रुचि दिखाएँ।

ग्राम सेवक से ले कर जिला विकास अधिकारी तक सभी कार्यकर्त्ता और खण्ड सलाहकार समिति के सदस्य इन गोष्ठियों में से कम से कम एक गोष्ठी में अवश्य भाग लें।

राज्य स्तर पर

(१) सम्बद्ध विभागों के सचिव,

(२) विभागों के अध्यक्ष,

(३) गवेषणा संस्थाओं से सम्बद्ध व्यक्ति,

(४) प्रशिक्षण केन्द्रों और विषय से सम्बद्ध अन्य राज्य स्तरीय समाज-सेवी संगठनों के व्यक्ति,

(५) विकास आयुक्त, उनके डिपुटी और मुख्यालय के अन्य अधिकारी,

(६) दो आयुक्त,

(७) प्रत्येक डिवीजन से एक कलक्टर, और

(८) विकास विभागों के डिपुटी।

युवक संगठन

गाँव के सामुदायिक विकास का उत्तरदायित्व यद्यपि पंचायतों पर सबसे अधिक है तथापि गाँवों की विकास योजनाओं के लिए गाँववालों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ आर्थिक उन्नति के लिए सहकारी संस्थाओं का महत्व है, वहाँ पंचायतों के सामाजिक पहलू के लिए युवक और महिला संगठनों के योगदान का भी उतना ही महत्व है। सभी राज्यों में ग्रामीण युवकों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया है। ये संगठन युवक मण्डल, युवक किसान क्लब, मंगल दलों आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर विभिन्न स्थानों पर इन दलों और क्लबों आदि की गतिविधियों में अन्तर रहता है। एक व्यक्ति ने, जिसने देश के विभिन्न भागों में चलनेवाले इन कार्यक्रमों को निरपेक्ष रूप से देखा, कहा कि मैंने कहीं भी मूर्त रूप में ऐसे क्लब नहीं देखे जो उनके संचालकों के विचारों के अनुरूप हों।

बहुत से अन्य कार्यकर्त्ताओं का यह मत है कि युवक कार्यक्रमों को ठीक ढंग से चलाने की आवश्यकता है ताकि यह आन्दोलन खुदबखुद आगे बढ़ता रहे और सामुदायिक विकास में स्थायी रूप से सहायता देता रहे। इसलिए इस विषय में नए ढंग से विचार करने की आवश्यकता है :—

सारी बात पर विचार किया गया और सामान्य राय यह थी कि :

(१) जो युवक संगठन बनाए जाएँ, उनके अन्तर्गत सभी युवक आएँ, चाहे वे विद्यार्थी हों या अन्य कोई। यह अनुभव किया गया कि इन संगठनों के साथ विद्यार्थियों का सहयोग वांछित होगा।

(२) उपसमिति की यह राय थी कि इन संगठनों को उम्र के हिसाब से दो भागों में बाँटा जाए—किशोर विभाग, जिसमें १० से १८ वर्ष तक की उम्र के किशोर हों और युवक विभाग, जिसमें १८ से ३० वर्ष तक की आयु के युवक हों।

(३) कार्यसूची में जो कार्यक्रम सुझाए गए हैं, उनके अतिरिक्त किशोर विभाग के कार्यक्रम में ये चीजें भी सम्मिलित की जानी चाहिएँ :

(क) देश का ज्ञान प्राप्त करना अर्थात् देश का का प्राकृतिक विभाजन और उसके निवासी, उनकी आदतें और रीति-रिवाज आदि। संक्षेप में उन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की मोटी-मोटी बातों से परिचित होना चाहिए। साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों का भी थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करना ताकि उनका और अधिक मानसिक विकास हो सके।

(ख) बच्चों के प्राविधिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि-कोण का विकास चार्टों, माडलों, खिलौनों और छोटी-छोटी मशीनों द्वारा, जिन्हें वह स्वयं जोड़ और चला सकें, किया जाए।

(ग) किसी अच्छे शौक हाबी को प्रोत्साहित करना।

(घ) खेल-कूद और व्यायाम।

(ङ) कुछ व्यक्तिगत योजनाएँ चालू करना, जैसे सब्जी उगाना, मुर्गी पालन, पशुओं को चराना आदि।

[समाप्त]

★

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रमों का उद्देश्य भारतीय देहातों के जीवन में क्रान्ति लाना है। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू इन कार्यक्रमों को बहुत महत्व देते हैं और उनसे भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद रखते हैं। इस काम को महत्व देने के लिए ही उन्होंने केन्द्र में एक अलग मन्त्रालय की स्थापना की है और उसका भार इस काम में रचे-पचे और कर्मण्य व्यक्ति के सिर पर रखा है। यह आशा की जा रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कम से कम राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रम देश के सभी देहातों में शुरू हो जाएगा, जिनकी संख्या पांच लाख से अधिक है।

भारतीय देहात लम्बे समय तक गरीबी, बेकारी, अज्ञान और रोगों के शिकार रहे। उनकी जरूरतों की शासन ने ज्यादातर उपेक्षा की; अतः देहातियों की आत्म-विकास की भावना कुण्ठित हो गई। उनमें जड़ता और निष्क्रियता ने घर कर लिया। इन देहातों में आत्म-विकास की भावना और प्रवृत्ति पैदा करना आसान काम नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान में कांग्रेस और दूसरी रचनात्मक संस्थाओं के कार्यकर्त्ता कुछ देहातों में प्रविष्ट हुए और ग्रामीणों के जीवन में घुल-मिल जाने की कोशिश की। किन्तु देहातों में जा कर बैठने और काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं की संख्या बहुत थोड़ी थी; कारण देहाती जीवन की कठोरताओं को आदर्शनिष्ठ कार्यकर्त्ता ही सहन कर सकते थे। ग्रामीणों के सन्देह, अविश्वास और असहयोग पर काबू पाने के लिए काफ़ी धीरज की आवश्यकता थी। खादी, ग्रामोद्योग, शिक्षा और रोगी-सेवा के द्वारा कार्यकर्त्ता ग्रामीणों के निकट सम्पर्क में आ सके और उनका विश्वास प्राप्त कर सके। इससे अप्रत्यक्ष रूप में स्वतन्त्रता आन्दोलन को बल मिला। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शासन को राष्ट्र के चौमुखी विकास का ध्येय अपनाना पड़ा और वह देहातों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। देहातों का कायाकल्प हुए बिना राष्ट्र के निर्माण की कोई कल्पना नहीं की जा सकती; कारण राष्ट्र की अधिकतर जनसंख्या देहातों में ही रहती है।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रमों की प्रगति का लेखा-जोखा समय-समय पर प्रकाशित होता रहा है। जब सामुदायिक विकास मन्त्रालय की खर्च की माँगें लोकसभा के सामने पेश की गईं, तो इन कार्यक्रमों के आलोचकों की संख्या कुछ कम नहीं थी। आलोचकों का कहना था कि कार्यकर्त्ताओं में नौकर-शाही की बू काफी अधिक है। उनमें से कुछ को अधिकारी अथवा अफसर कह कर पुकारा ही जाता है। जिन लोगों को अपने कपड़ों की इस्तरी का सब से पहले ख्याल रहता है और जो जीप के बिना बाहर नहीं निकल पाते, वे देहातों में क्या काम कर सकते हैं? यह भी कहा गया कि कागज पर जितना काम दिखाया जाता है, वास्तव में उतना होता नहीं और इन कार्यक्रमों पर खर्च शाही ढंग से हो रहा है। विकास खण्डों के प्रशासन पर ही बहुत-सारा खर्च हो जाता है और लोक हितकारी कामों के लिए बहुत थोड़ा रुपया बच रहता है। देहातों में जो प्रभावशाली लोग हैं, वही इन कार्यक्रमों से अधिक फायदा उठा लेते हैं और गरीबों के जीवन का स्पर्श नहीं हो पाता।

इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा में इन कार्यक्रमों की काफी तीखी आलोचना हुई है, किन्तु सामुदायिक विकास मन्त्री उससे हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि उसका उन्होंने स्वागत ही किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लोकसभा की इस बहस को पुस्तक रूप में छपवा कर कार्यक्रमों में लगे हुए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्त्ता तक भेजेंगे, ताकि वे आलोचना से लाभ उठा सकें और दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर सकें। सामुदायिक विकास मन्त्री के पास कार्यक्रमों की सफलता और विफलता का अपना लेखा-जोखा था और उसे उन्होंने सदन के सामने पेश करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बताया कि सरकारी यन्त्र और जनता की संस्थाओं की कमियों का उनके मन्त्रालय ने अच्छी तरह पता लगा लिया है। विकास-कार्यक्रमों के साथ अनेक मन्त्रालयों का सम्बन्ध आता है और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने में सामुदायिक मन्त्रालय को साधारण सफलता मिली है। कार्यक्रमों में जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने में, सामुदायिक विकास मन्त्री ने स्वीकार किया कि वह विफल रहे हैं। इस विफलता का दायित्व उन लोगों पर भी है जो जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। कार्यक्रमों के आलोचक भी इससे नहीं बच सकते। सामुदायिक विकास मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि संसद के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, सरपंचों, सहकारी समितियों के प्रधानों और क्षेत्र के अन्य प्रमुख व्यक्तियों का विकास-कार्यक्रमों में पूरा सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। सलाहकार परिषदें अभी की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधि होनी चाहिएँ और सामुदायिक विकास मन्त्री ने आश्वासन दिया कि सलाहकार परिषदों की सिफारिशों को अन्तिम माना जाएगा। मन्त्री महोदय का दावा है कि स्थूल सफलताओं की दृष्टि से उनका मन्त्रालय द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण

हुआ है। इन कार्यक्रमों को यदि अपने ध्येय में सफल होना है, तो कार्यकर्त्ताओं में मिशनरी भावना विकसित होनी चाहिए। तभी वे अधिक क्रियाशील हो सकेंगे और ग्रामीणों के साथ विशेष तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे। प्रत्येक कार्यकर्त्ता को गहरा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में खादी और ग्रामोद्योगों को भी स्थान दिया जाना चाहिए, जिनकी अबतक उपेक्षा की गई है। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रमों की उपयोगिता असंदिग्ध है और उनकी सफलता इसपर निर्भर करेगी कि कार्यकर्त्ता उनमें लोगों का कितना स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान (नई दिल्ली)
३१-७-१९५७

★

सामुदायिक विकास-योजना

ग्रामोत्थान के निमित्त देश के विभिन्न भागों के ग्रामांचलों में कार्यान्वित की जा रही सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन की रीति-नीति पर लोक सभा में पहली बार आलोचनाओं की बौछार हुई। अमेरिकन विशेषज्ञों की सलाह से भारत के ग्रामांचल का नक्शा बदलने और पिछड़ी हुई ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर ग्रामों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर उन्नत करने के उद्देश्य से देश के कई भागों में सामुदायिक विकास-योजनाओं का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। उनमें आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन की भावना पैदा कर उन्हें उत्पादन के आधुनिक उन्नत साधनों से परिचित करा कर कृषि उत्पादन-वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सुख समृद्धि ला सकने की आशा सामुदायिक विकास-योजना के विधायकों ने की थी। पंचवर्षीय विकास आयोजन के पूरक के रूप में जनता के श्रमदान द्वारा भी आवश्यक लोकोपयोगी कार्यों के पूरा किए जा सकने की सम्भावना से पंचवर्षीय योजना के खर्च में अन्ततः कमी हो सकने की आशा भी प्रकट की गई थी। योजना के रूप रेखा सम्बन्धी परामर्श के अतिरिक्त प्रारम्भिक काल में अमेरिका ने प्राविधिक सहायता के अन्तर्गत सामुदायिक विकास-कार्य के लिए आर्थिक सहायता की थी। कुछ ग्रामांचलों में सामुदायिक विकास-कार्यों की सफलता की बात कह कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरे देश के ग्रामांचलों को सामुदायिक विकास-योजनाओं और उससे सम्बद्ध राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्य की सुविधा और सुचारुता के लिए केन्द्र में एक मन्त्री के मातहत सामुदायिक विकास मन्त्रालय की स्थापना भी की गई। पंचवर्षीय योजना की सफलताओं में सामुदायिक विकास-कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता रहा है। अब लोकसभा में सामुदायिक विकास-कार्यों के लिए अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में अभिप्रायियों के लिए साधुवाद देने के बजाय योजना को विफल बताते हुए उसके निर्धारण और कार्यान्वय के ढंग की आलोचना की गई है।

बहुसंख्यक आलोचक सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के ही हैं। एक सदस्य डाक्टर रामसुभग सिंह ने यह कह कर कि सामुदायिक विकास-योजना ने कृषकों को बजाय आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाने के उनके अपना काम आप करने के उत्साह को ही कुण्ठित कर दिया, योजना के मूल उद्देश्यों के ही विफल होने की ओर संकेत किया। केन्द्रीय सरकार के ही एक भूतपूर्व सदस्य श्री गुह ने विकास योजना के आधार स्तम्भ 'ग्राम सेवक' के कार्यों की आलोचना करते हुए योजना के प्रशासन के ढंग पर आघात किया। 'ग्राम सेवक' बजाय ग्राम्य जनता का मित्र और पथप्रदर्शक बनने के नई कोटि का 'अफसर' बन गया। बीज, खाद बाँटने और विकास कार्यों का निरीक्षण करने में समय लगाने के बाद ग्राम सेवक ग्रामीणों से मिलने-जुलने का अवसर ही नहीं निकाल सकता। योजना के प्रशासकों की लम्बी कतार में 'ग्राम सेवक' ही किसी न किसी रूप में ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त कर सकता है और अन्य अधिकारी अपने शहरी और अफसरी तौर-तरीके के कारण ग्रामीणों पर वैसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं डाल सकते, जैसा सामुदायिक योजना के लिए सहयोग प्राप्त करने के निमित्त आवश्यक है। कांग्रेस दल के ही दूसरे आलोचकों ने कहा कि सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में परस्पर सहयोग के अभाव और योजना अधिकारियों को समय से आर्थिक सुविधाएँ न मिलने के कारण इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हुई है। सभी आलोचक इस बात पर एकमत रहे कि इन योजनाओं पर जितना रुपया खर्च हुआ है, फल उसके अनुरूप नहीं रहा है।

सामुदायिक विकास-योजनाओं का प्रधान उद्देश्य खाद्यान्न और कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना और अच्छी सड़कें, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा-व्यवस्था आदि सामुदायिक सेवाएँ उपलब्ध कर ग्रामांचलों को खुशहाल बनाना है। खाद्यान्न उत्पादन-वृद्धि के कार्य में सामुदायिक विकास-योजनाओं की विफलता का उल्लेख केन्द्र के खाद्य मन्त्री श्री जैन ने भी किया है। खाद्यान्न-उत्पादन-वृद्धि का सम्बन्ध भूमि समस्या और कृषि उपकरणों में सुधार से है। भूमि सुधारों के अभाव में बहुसंख्यक कृषकवर्ग सामुदायिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जानेवाली सुविधाओं

से वंचित रह जाता है। जो पहले से सम्पन्न हैं, वे ही लाभान्वित होते हैं। ग्रामों की मूल समस्या गरीबी के निराकरण का उपाय किए बिना सामुदायिक विकास-योजना के कार्य अस्थायी और ऊपरी टीपटाप के समान ही रह जाएँगे।

आज (वाराणसी)
३०-७-१९५७

★

सामुदायिक योजना के दोष

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा मन्त्रालय के लिए कोष की माँग के सम्बन्ध में भारतीय संसद में पिछले दिनों जो वादविवाद हुआ, उससे जहाँ हमारे संसदीय नेताओं की जागरूकता का परिचय मिलता है, वहाँ इस विभाग की कार्य प्रणाली के दोषों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस सिलसिले में न केवल विरोध पक्ष के संसद सदस्यों ने, बल्कि सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी वस्तुस्थिति की कटु आलोचना की।

इस में सन्देह नहीं कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास की ऐसी कल्पना की गई है, जिसमें सरकारी नेतृत्व के अन्तर्गत सजग जनमानस का सहयोग क्रियाशील हो कर विकास की यथार्थ नींव डालेगा। अतः इस दिशा में किसी प्रकार की ढील राष्ट्रीय हितों के लिए घातक सिद्ध होगी। इस पृष्ठभूमि में जनता के प्रतिनिधियों की सजग टीकाएँ विशेष महत्व रखती हैं।

वाद-विवाद में भाग लेनेवाले सदस्यों ने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यविधि सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन से उद्धरण पेश करते हुए इन योजनाओं की वास्तविक सफलता के सम्बन्ध में शंका प्रकट की। आलोचकों की टीका मुख्यतः दो पक्षों से सम्बद्ध थी। कहा गया कि सामुदायिक विकास-योजनाएँ ग्रामीण जनता में अपनी सहायता आप करने तथा पहल करने की भावना का संचार करने में असफल रही हैं, जबकि यह उनका प्रधान उद्देश्य था। दूसरे, उन्होंने जरूरतमन्दों और गरीबों की अपेक्षा धनिकों और सबलों को ही अधिक लाभ पहुँचाया है। स्वतन्त्र सदस्य श्री आर० के० खाडिलकर ने कहा कि गाँवों के धनी और शक्तिशाली वर्गों ने ही दी गई सहायता से लाभ उठाया, जबकि भूमिहीन मजदूरों को कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि उनमें ऋण पाने की क्षमता नहीं थी। एक अन्य कठिनाई यह भी रही है कि भूमि सुधारों की प्रगति बहुत ही धीमी है। कांग्रेसी सदस्य श्री डी० एन० तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-सी लाभ की बातें हुई हैं। किन्तु अपनी सहायता आप करने की भावना विकसित नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण नेतृत्व करने की जिम्मेदारी पंचायतों और सहकारी समितियों को ही दे देनी चाहिए।

इन आलोचनाओं के उत्तर में सामुदायिक विकास मन्त्री श्री एस० के० दे ने जो कुछ कहा, वह सरकार की जागरूकता को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश बुराइयाँ उस दशा में और भी अच्छी तरह निर्मूल की जा सकती हैं जब जनता के प्रतिनिधि इन योजनाओं की कार्यप्रणाली में ज्यादा हिस्सा लें। केवल स्थानीय विकास अधिकारी ही नहीं, बल्कि समूची सरकार ही प्रभावित हो जाती है। इसी कारण गरीबों की बजाय धनी लोग ही अधिक फायदा उठा लेते हैं। जनता के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे इस तरह के जोर दबाव और प्रभाव को रोकें। उन्होंने इस विभाग की आज तक की सफलता का मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का सहयोग प्राप्त करने और विभागीय दोषों का पता लगाने में योजना प्रशासन 'विशेषता के साथ उत्तीर्ण' हुआ है; विकास सम्बन्धी समस्त सरकारी संस्थाओं के प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करने में वह केवल 'उत्तीर्ण' हुआ है; जबकि वास्तविक सफलता हासिल करने में उसे 'द्वितीय श्रेणी' प्राप्त हुई है। जहाँ तक इन योजनाओं में जनता के प्रतिनिधियों के सम्बद्ध होने का प्रश्न है, यह विभाग पूर्णरूप से 'असफल' रहा है। उन्होंने कहा कि गैरसरकारी प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना विकास भले सम्भव हो जाए, किन्तु सामुदायिक विकास नहीं हो सकता।

नवभारत टाइम्स (दिल्ली)
२-८-१९५७

★

जम्मू में बाढ़ की रोक-थाम के लिए सेना द्वारा कार्रवाई

बाढ़ों की समस्या

डी० मेहता

देश में बाढ़ों के रोकने की समस्या बहुत आवश्यक हो गई है। बाढ़ों से देश भर में अपार क्षति होती है। फिर भी इस समस्या पर सारे देश की दृष्टि से विचार नहीं किया गया। जब १९५४ में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में बाढ़ विभाग खोला गया तभी से यह काम शुरू हुआ। जल विद्युत आयोग का काम देश की नदियों को नियन्त्रित करना और जल-साधनों का विकास करना है। यद्यपि दामोदर घाटी तथा हीराकुड जैसी योजनाएँ मुख्यतः बाढ़ रोकने के लिए बनीं और १९५४ से पहले ही शुरू हो चुकी थीं, फिर भी १९५४ से पहले की बहुमुखी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पन-बिजली तथा सिंचाई की व्यवस्था थी और बाढ़ रोकना गौण था। बाढ़ विभाग खुलने के बाद अब ऐसी बड़ी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य नदियों के जल को नियन्त्रित करना और तटवर्ती क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना है।

दूसरी योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिए ६० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कार्य की विशालता को देखते हुए यह राशि बहुत कम है, परन्तु इससे स्पष्ट होता है कि इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान है।

भयंकर बाढ़ आने का मुख्य कारण तो भारी वर्षा है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिनसे बाढ़ उग्र रूप धारण कर लेती है। मसलन पिछले सितम्बर में पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आई थी, वैसी पहले कभी नहीं आई। इसमें कई कारण मिल गए थे। भागीरथी, अजय, दामोदर, द्वारका आदि नदियों में साधारण बाढ़ थी, और उनके उपरले कांठे में वर्षा भी साधारण थी। परन्तु घाटी के निचले भाग में दूर-दूर तक अत्यधिक वर्षा हुई। कहीं २४ घण्टों में १५ इंच वर्षा हुई तो कहीं ४८ घण्टों में २२ इंच। इससे इतना अधिक पानी हो गया कि वह नदियों में न समा सका और तटवर्ती प्रदेशों में फैल गया।

बंगाल की खाड़ी में इसी समय ऊँचा ज्वार आया। इससे नदियों का पानी खाड़ी में बहने के बजाय उलटा खाड़ी का पानी अन्दर घुसने लगा और पानी की निकासी न होने से पश्चिम बंगाल जलमग्न हो गया। पंजाब में भी गतवर्ष असाधारण बाढ़ आई।

हमारे यहाँ बाढ़ के पुराने रेकार्ड न होने के कारण यह बताना कठिन है कि भारी या हल्की बाढ़ों का क्रम क्या है। अमरीका, चीन आदि देशों में जहाँ इस तरह के रेकार्ड हैं, वहाँ भी यह बताना मुश्किल है कि भारी बाढ़ कब आती है। हो सकता है, दस साल तक बाढ़ न आए और फिर लगातार दो-तीन वर्ष भारी बाढ़ आए। हो सकता है कि १०० या ५०० या १००० वर्ष में एक बार इतनी भारी बाढ़ आए जो ऊँचे से ऊँचे पुल को बहा कर ले जाए। देश के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में पिछले दो-तीन वर्ष से जो भीषण बाढ़ें आ रही हैं, उनका कारण बताना कठिन है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इन बाढ़ों का कारण अणु आयुधों का विस्फोट है। यद्यपि इस विषय में प्रमुख भौतिक शास्त्रियों में मतभेद है, पर यह सत्य है कि इधर बाढ़ों की उग्रता बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है और क्या उपाय है? बाढ़ का एक बड़ा कारण यह है कि बाढ़ के पानी के निकास के मार्ग का अवरोध भी है। मतलब, नदी के तटवर्ती प्रदेशों में रेल, सड़क आदि बनना है, जिससे पानी की निकासी में बाधा होती है।

नदियाँ अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं। पहाड़ से मैदान में उतरने पर प्रत्येक नदी अपने मार्ग के साथ अपनी बाढ़ का क्षेत्र भी निश्चित कर लेती है। पहाड़ों और चट्टानों से नदियाँ बड़े वेग से उतरती हैं, मैदानी जमीन को काटती हैं और मिट्टी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं।

यदि बहाव धीमा हुआ, तो मिट्टी बह नहीं पाती और नदी उथली और चौड़ी होती जाती है। यदि नदी का मार्ग सकरा हुआ तो वह दोनों ओर के किनारों को डुबा देती है। इस प्रकार धीमे-धीमे उसका बाढ़ का क्षेत्र और निकासी का मार्ग बन जाता है। सड़क, पुल, बाँध आदि से नदी के प्राकृतिक मार्ग में रुकावट होती है। नदियों के बाढ़ क्षेत्र में कारखाने, नगर, रेल सड़क आदि बनते हैं, जिससे जल का फैलाव रुकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह अनिवार्य है, साथ ही घातक भी। बाढ़ रोकने को भी तट-बन्ध आदि बनाए जाएँ, यह कहना कठिन है कि भविष्य में बाढ़ से वे टूटेंगे नहीं। इसलिए सिंचन तथा विद्युत शक्ति मन्त्रालय बड़ी नदियों के बाढ़-क्षेत्र निर्धारित करने की सोच रहा है। नदी के पूरे काँठे में क्षेत्र-निर्धारण कठिन है। पर जहाँ नदी तट पर नगर हैं, वहाँ तो निर्धारण किया ही जा सकता है।

देहात के किसान साधारण वार्षिक बाढ़ का स्वागत करते हैं, क्योंकि बाढ़ उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है। असल में बाढ़ से रक्षा की मुख्य जरूरत शहरों की है। इसलिए ऐसे इलाकों में खम्भे लगाकर बाढ़ का क्षेत्र सूचित किया जा सकता है। सम्भवतः आगे चल कर बाढ़-क्षेत्रों में कारखाने, बिजली घर, अनाज के कोठार जैसी स्थायी इमारतों के बनाने पर कानून द्वारा पाबन्दी भी लगानी पड़े।

[भागीरथ के सौजन्य से]

दिल्ली में जमना की बाढ़ का एक दृश्य

विस्तार की परिभाषा

जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव

[गतांक से आगे]

: ४ :

विस्तार के साधन

विस्तार कार्य मौखिक भाषणों, किताबों, पुस्तिकाओं को पढ़ कर सुनाने या पर्चे बँटवाने तक ही सीमित नहीं है। किसी प्रकार के कानून से या दबाव डाल कर भी यह नहीं किया जा सकता। इसमें तो जनता के मन पर ऐसे साधनों द्वारा प्रभाव डाला जाता है जो स्थायी हों और जिसको वे स्वयं व्यवहार में लाने लगें।

विस्तार का उद्देश्य अन्वेषण करना नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा परीक्षित प्रयोगों को जनता तक पहुँचा कर उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज किसानों और वैज्ञानिकों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। किसान नहीं जानता कि वैज्ञानिकों की कौन-कौन सी खोजें उसके भले के लिए हैं। वैज्ञानिक भी किसानों की असली समस्याओं से अपरिचित हैं। विस्तार कार्य-कर्त्ता विस्तार साधनों के द्वारा इस ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकता है और इस प्रकार खाई को पाट कर देश की उपज और उसके नागरिकों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकता है।

विस्तार के साधन के रूप में हमें एक ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो काम को ठोस और दृढ़ बनाए तथा समाज का ऐसा मानसिक विकास करे जिससे उसका समूचा जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो सके।

विस्तार के कुछ साधन इस देश में पुराने समय से ही चले आते हैं। इन साधनों द्वारा शिक्षा के तत्वों का विस्तार करना बहुत ही सुलभ था। संक्षेप में उन पर अलग-अलग विचार कर लेना आवश्यक है।

(१) **भजन, कीर्तन, कथा**—लोगों को एकत्र करके सदाचार और नीति की शिक्षा देने के लिए इनका बहुत सुन्दर प्रयोग होता है।

(२) **नाटक, छायाभिनय, रामलीला**—सिनेमा के पूर्व लोगों के लिए इनका ही महत्व था। आज भी गाँवों में शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम के रूप में इनका महत्व कम नहीं हुआ।

(३) **कठपुतली**—यद्यपि कठपुतली के नाच पर लोग हँसेंगे, पर अगर सचमुच देखा जाए और उसको उचित रूप दे कर प्रदर्शन किया जाए तो यह विस्तार का एक उपयुक्त साधन है।

इसके अतिरिक्त सम्मेलन और मेले, तीर्थ-यात्रा, त्योहार, रथयात्रा, जलुस तथा संगीत और लोकगीत प्रतियोगिता आदि अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा नए विचारों को भिन्न-भिन्न रूप में शिक्षा देने के लिए प्रयोग में लाया गया है।

अब हम इन नवीन साधनों का संक्षेप में वर्णन करेंगे, जिनका अवसरानुकूल तथा सुविधानुसार प्रयोग किया जा सकता है।

१. दृश्य साधन

(क) **प्रदर्शनी**—विविध विषयों पर प्रदर्शनियाँ संगठित करना। इसमें चल प्रदर्शनी का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त चल प्रदर्शनी किसी बड़ी मोटर में लगाकर दूर-दूर के क्षेत्रों में भेजी जा सकती है, और जहाँ चाहे वहाँ प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। और फिर उसको आसानी से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

(ख) **प्रदर्शन**—ये दो तरह के होते हैं। एक तो किसी विषय विशेष का उसी क्षेत्र या स्थान में प्रचलित सही और गलत ढंग, प्राचीन और नवीन ढंग आदि को एक दूसरे के अगल-बगल या आमने-सामने करके दिखलाना।

प्रदर्शन का दूसरा साधन सचित्र व्याख्यान है। व्याख्यान को सचित्र बनाने से उसमें बड़ी सजीवता आ जाती है। इसके अन्तर्गत अचल चित्रों को विभिन्न ढंगों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(ग) **प्रोजेक्टर**—यह एक यन्त्र है जिसके द्वारा हम किसी फोटो को बड़े रूप में पर्दे पर दिखाते हैं। इसको आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है तथा यह बिजली या गैस की लालटेन (पेट्रोमेक्स)—दोनों से कार्य कर सकता है।

यान्त्रिक साधन

(१) **ब्लैक बोर्ड**—किसी बात को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कोई नया नहीं है।

(२) **फ्लेनलग्राफ**—किसी विषय को पहले तस्वीरों के रूप में बना कर उसके नीचे बालू के कागज (रेगमाल) चिपका कर काट लिया जाता है। फिर फलालैन या खद्दर के चौकोर टुकड़े को फ्रेम पर लगा कर और उसी पर चित्रों को लगा कर (बालू कपड़े को पकड़ लेता है) विषय को समझाते हैं।

(३) **फ्लैश कार्ड**—पहले विषय को एक कहानी का रूप दे दिया जाता है। फिर १० इंच लम्बे व ८ इंच चौड़े मोटे कागज पर कहानी को चित्र के रूप में बना कर अलग-अलग कार्डों पर अंकित कर लिया जाता है। प्रत्येक चित्र के पीछे उस चित्र विशेष की कहानी लिखी रहती है। दर्शकों के सामने तो उसका चित्र रहता है पर वक्ता चतुरता से उसके पीछे पढ़ कर बात बतलाता जाता है।

(४) **चलचित्र**—चलचित्र या सिनेमा के प्रभाव से सभी परिचित होंगे। शिक्षा देने का यह अनमोल साधन है। इसके द्वारा किसी घटना, कार्य करने की विधि, या समस्या को प्रत्यक्ष रूप में चित्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा दी गई शिक्षा अधिक प्रभावोत्पादक एवं स्थायी होती है।

(५) **पर्यटन एवं दृश्य-दर्शन**—जिन क्षेत्रों में उन्नतिशील एवं वैज्ञानिक ढंग पर काम किए गए हों, उनको खुद जा कर देखना व उनसे ज्ञान प्राप्त करना। इससे यह लाभ है कि जहाँ दर्शक उस विषय को व्यावहारिक रूप में देख सकता है, वहाँ उसकी समस्याओं को समझ कर अपनी शंकाओं को मिटा सकता है तथा दूसरे के कार्यों को देखने से जिज्ञासा तथा प्रयोग करने की प्रवृत्ति जागृत होती है।

(६) **प्रकाशित साधन**—तस्वीरें, किताबें, दैनिक-पत्र-पत्रिकाएँ, पोस्टर, व्यंगचित्र, चार्ट, ग्राफ आदि छापे जा सकते हैं और इनका प्रयोग विशेष विषयों के लिए अलग-अलग या साथ-साथ किया जा सकता है। सचित्र साहित्य भी विस्तार का बहुत प्रभावशाली साधन है।

(७) **माडल**—जिन चीजों का या तो आकार बहुत बड़ा होता है या वस्तु कठिनता से उपलब्ध होती है, या किसी अन्य कारणों से उसे हमें नहीं प्राप्त कर सकते, उसको हम एक छोटा रूप दे कर मिट्टी, लोहा, कागज, लकड़ी आदि उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से खिलौना या माडल बना लेते हैं, और उसके द्वारा श्रोताओं या विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु के नमूने को देख कर भी हम प्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान लगा सकते हैं। इसके विपरीत इसके द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े रूप में परिवर्तित कर उसका भली प्रकार अध्ययन कर सकते हैं।

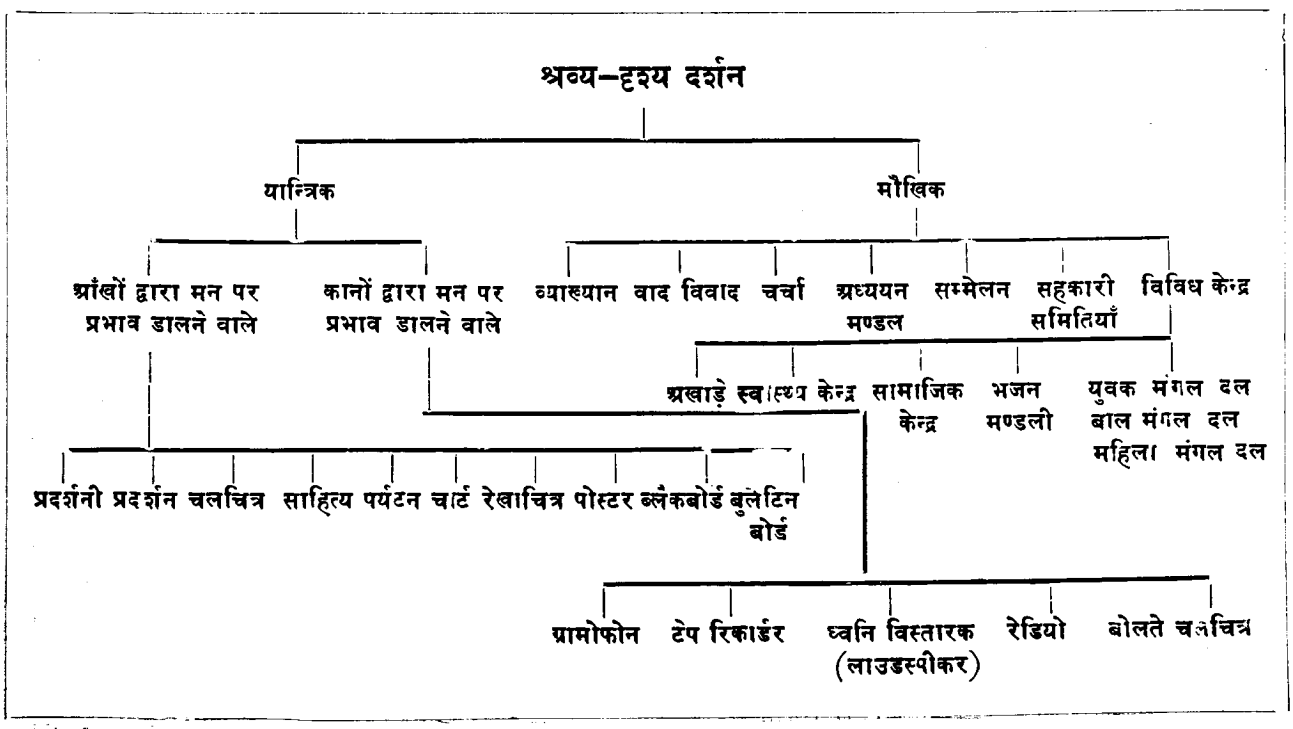

२. श्रव्य साधन

(क) ग्रामोफोन—अच्छे-अच्छे चुने हुए रेकार्डों द्वारा लोगों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी दी जा सकती है।

(ख) टेप रिकार्डर—इसमें ग्रामोफोन के रेकार्डों की ही भाँति सिनेमा की फिल्म की तरह के फीते के ऊपर आवाज भर ली जाती है जो मशीन द्वारा किसी भी अवसर पर सुनी जा सकती है। इससे उपयोगी वार्त्ता या व्याख्यान हूबहू उन्हीं की आवाज में लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।

(ग) ध्वनि-विस्तारक (लाउड स्पीकर)—जब कोई सूचना अधिक व्यक्तियों को देनी होती है, तो इस यन्त्र को प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा ग्रामोफोन के रेकार्डों को या रेडियो की ध्वनि का भी विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।

(घ) रेडियो (आकाशवाणी)—सिनेमा के पश्चात् विस्तार का यह एक अच्छा साधन है। चूँकि यह बेटरी से भी कार्य करता है, इसलिए इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित और सहायक साधन है।

३. मौखिक साधन

यान्त्रिक साधनों के अतिरिक्त मौखिक साधन भी कम उपयोगी नहीं हैं। इनमें भी विशेषज्ञों ने नई-नई पद्धतियों को जन्म दे कर विषय को रोचक और अधिक प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की है। इनमें से मुख्य-मुख्य पर हम विचार करेंगे।

(१) **व्याख्यान**—व्याख्यान छोटा, रोचक और प्रभावशाली ढंग से देना चाहिए। अगर बीच-बीच में किसी यान्त्रिक साधन या चित्र का प्रदर्शन किया जाए तो व्याख्यान अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी होता है। व्याख्यान के पश्चात् उस विषय पर प्रश्नोत्तर के लिए भी समय देना अच्छा होता है।

(२) **वादविवाद**—वादविवाद की पद्धति आधुनिक साधनों में अनोखी है। पहले विषय की छानबीन कर वादविवाद की एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार नियोजित वादविवाद से विषय सरलता से समझा जा सकता है। इसमें प्रश्नोत्तर को भी उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए।

(३) **चर्चा**—किसी विषय पर आपस में विचार-विमर्श, प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान द्वारा जो हल निकाला जाता है, उसे चर्चा पद्धति कहते हैं। छोटे समूह में चर्चा के साधन का प्रयोग करने से व्याख्यान की अपेक्षा कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है।

(४) **अध्ययन मण्डल**—किसी विशेष प्रश्न या विषय को ले कर शिक्षा प्राप्त करनेवाला समूह छोटे-छोटे दलों में बँट जाता है। वे उस विषय से सम्बन्धित साहित्य तथा उपलब्ध सामग्रियों की सहायता से या अलग-अलग लेख तैयार करते हैं। तत्पश्चात वह लेख पढ़े जाते हैं और लोग उन पर अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं।

श्रव्य-दृश्य साधनों से लाभ

(१) **बोलचाल या स्थानीय भाषा के कारण कोई असुविधा नहीं होती**—चित्र स्वयं ही भाषा है। एक चित्र एक हजार शब्दों के बराबर हैं। जहाँ लोग अशिक्षित हैं, इसी साधन द्वारा हम उन्हें सामाजिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

(२) **विषय सरल हो जाता है**—मनुष्य उसी चीज को सीख और याद कर सकता है, जिसको वह अच्छी तरह समझ ले। श्रव्य एवं दृश्य दर्शन द्वारा क्या, क्यों और कैसे का उत्तर सरलता से मिल जाता है और जब इन तीन प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तब लोग शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको अधिक समय तक स्मरण रख सकते हैं।

(३) **अधिक लोगों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है**—कोई विशेषज्ञ या वैज्ञानिक चाह कर भी सबके पास अपने ज्ञान को नहीं पहुँचा सकता, परन्तु इस साधन द्वारा हम उसकी ध्वनि, ज्ञान और प्रयोग-फल को विस्तृत करके हर एक के पास पहुँचा सकते हैं।

(४) **कार्यक्रम में आकर्षण पैदा होता है**—किसी कार्यक्रम या बातचीत की सफलता उसके द्वारा श्रोताओं में आकर्षण पर निर्भर है। दृश्य-दर्शन द्वारा लोगों में जिज्ञासा और आकर्षण तथा उसके द्वारा हम उनसे सम्पर्क बढ़ा कर अपने काम को सरलतापूर्वक कार्यान्वित करा सकते हैं।

(५) **कम व्यय में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं**—इन साधनों को प्रस्तुत करने का व्यय उससे लाभ उठाने वाले लोगों में बाँट दिया जाए तो सम्भवतः इससे सस्ता कोई साधन नहीं होगा।

(६) **इसका स्थानीय निर्माण हो सकता है**—स्थानीय समस्याओं का चित्रण तथा उसका उन्नतिशील बातों से मेल इसी साधन द्वारा सम्भव है। समान स्थितियों एवं परिस्थितियों में दूसरे स्थानों पर क्या उन्नति हुई, यह इसी साधन द्वारा ज्ञात हो सकता है।

(७) **यह साधन प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को पूरा करता है।**

[शेष पृष्ठ २८ पर]

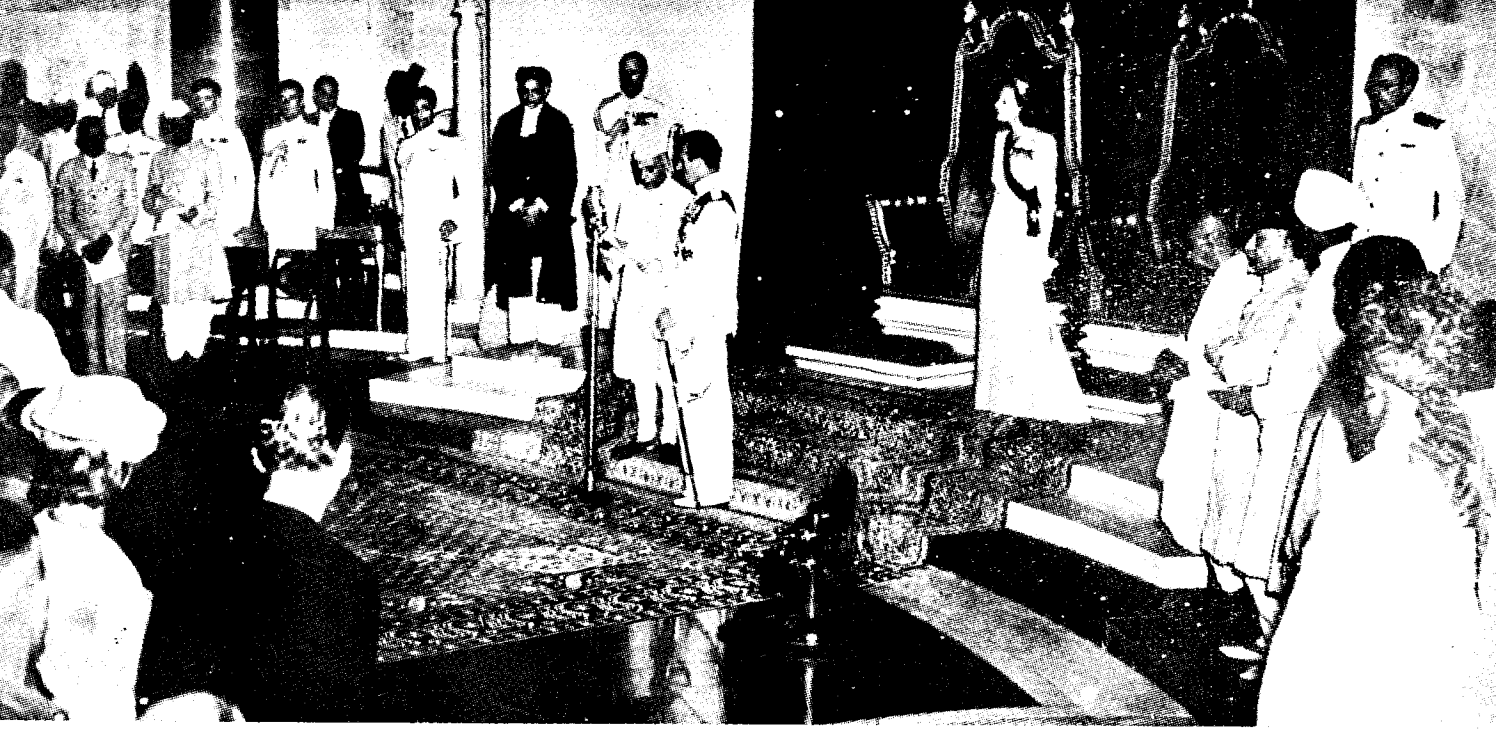

१५ अगस्त १९४७ को सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मन्त्री पद की शपथ ली।

और लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराने लगा

पर आजादी के साथ मुसीबतें भी कम नहीं आईं—लाखों शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालना पड़ा

न की समस्या हल करने के लिए लाखों मन अनाज विदेशों से मंगाया। और हम आगे बढ़ते गए

लाखों गाँववासियों की उन्नति के लिए सामुदायिक विकास-योजनाओं का उद्घाटन हुआ

६ जनवरी १९५० को भारत गणराज्य घोषित हुआ

और एक साल बाद ही प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी

हनत रंग लाई। श्रमदान से कुएँ,
ड़कें, मकान आदि बनने लगे

नया जोश आया। सामुदायिक विकास
हायता से हरी-भरी फसलें लहलहा उठीं

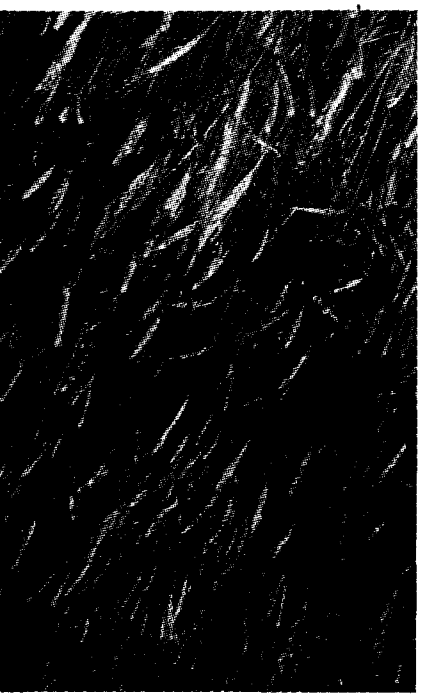

औद्योगिक उत्पादन में भी हम पीछे न रहे। न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि कई नई चीजें जैसे मोटरें, रेल के इंजन आदि भी बनने लगे

बिजली
बढ़ाने
बहू-
एँ और
भाखड़ा-
एशिया
बाँध है

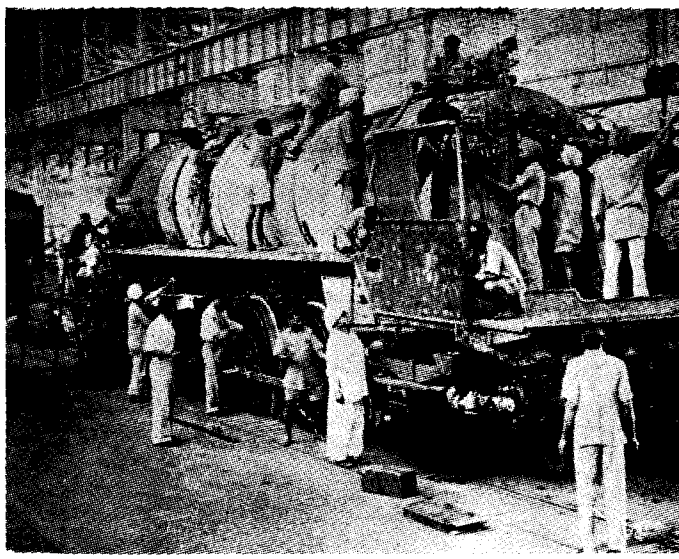

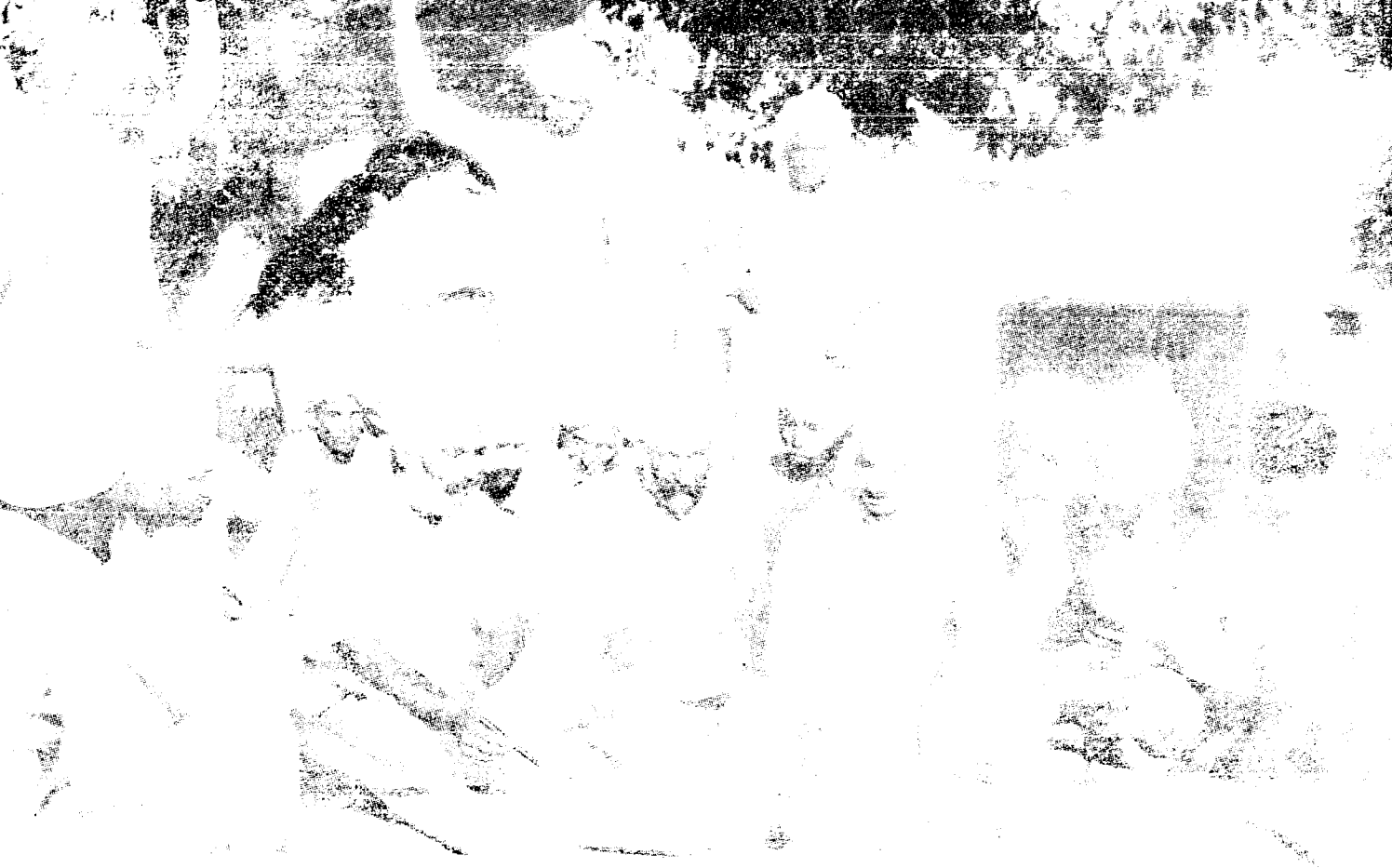

भूमि की छोटी-छोटी जोतों की समस्या आज की नहीं, सदियों पुरानी है। पर अब उसे भी चकबन्दी द्वारा हल किया जा रहा है--और वह भी जबर्दस्ती से नहीं, आपसी मेल-मिलाप से

पर अपनी प्रगति से हम सन्तुष्ट नहीं, [illegible]

मुल्क को कैसे बनाएँ

जवाहरलाल नेहरू

हम और आप यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में जमा हुए हैं, इस दिन को मनाने के लिए, यह दिन जो दसवीं साल गिरह है हमारे आजाद हिन्द की और जो शताब्दी है, उस बड़ी जंग आजादी की जो इस मुकाम पर सौ बरस हुए हुई थी।

काफी तादाद में आप यहाँ जमा हैं, लेकिन शायद आप और हम से ज्यादा यहाँ और लोग भी जमा हैं और लोगों की यादें, और वह काफिले और कारवाँ जो यहाँ आए, वे लोग जिन्होंने सौ बरस में कुछ अपनी हिम्मत दिखाई, कुछ हिन्दुस्तान की खिदमत की, कौम की खिदमत की और अपना कर्तव्य पूरा किया। आखिर में जिस लिए उन्होंने कोशिश की, खून बहाया, जान दी, उसका नतीजा हासिल हुआ और उस नतीजे की शक्ल क्या है? इसलिए आज के दिन यह सौ बरस की कहानी हमारे सामने आती है, ऊंच और नीच और यहाँ इस दिल्ली शहर में और खास कर इस लाल किले में एक-एक पत्थर उस कहानी को हमें सुनाता है। सामने मेरे यह चाँदनी चौक है, एक मशहूर बाजार दिल्ली का, सैकड़ों बरस से। क्या-क्या इस चाँदनी चौक ने देखा है? बड़े-बड़े जलूस साम्राज्यों के, बादशाहों के, मुल्क का करवट लेना, साम्राज्यों का गिरना, नए-नए राज्यों का आना। यहाँ जलूस निकले प्राचीन भारत के, मुगल साम्राज्यों के, अंग्रेजी हाकिमों के, बड़े-बड़े हाथियों पर निकले। वह सब जमाना आया और वह सब जमाना गया और अब आजाद हिन्दुस्तान का जमाना आया जिसमें हमारे और आपके सामने यह बड़ा फर्ज आया है कि इस मुल्क को कैसे बनाएँ, कैसे चलाएँ।

मेहनत का फल

१०० वर्ष की मेहनत का फल हमने उठाया, लेकिन फिर हमारी मेहनत करने का और उस फल को पक्का करने का वक्त आया। दस बरस इस काम को किया। दस बरस बाद में कुछ हिन्दुस्तान की शक्ल बदली। कुछ दुनिया में भी एक खबर पहुँची, लोगों के कानों में कि एक नया मुल्क बना, एक नया बड़ा मुल्क। एक मुल्क जिस की आवाज कुछ और मुल्कों से दूसरी है। जो धमकी नहीं देता, जो गुर्राता नहीं, जो चिल्लाता नहीं। क्यों उसने दूसरे सबक सीखे हैं, अपने नेताओं के नीचे, महात्मा जी के नीचे। जो कि खामोशी से काम करता है, लेकिन फिर भी उसके काम के पीछे कुछ ताकत है, कुछ इरादा है।

दस बरस में यह मुल्क दुनिया के मैदान में आया, दुनिया के अखाड़े में हम भी कुछ पहलवान बन कर उतरे, किसी से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन कुछ अपनी खिदमत, कुछ दुनिया की खिदमत करने को। आजादी के फायदे हैं। याद है आपको, कितनों को आप में से याद है, यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, कि हिन्दुस्तान का रूप क्या था इस आजादी के आने के पहले? अगर नहीं आपको याद है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते कि क्या-क्या हुआ, गाँवों में और शहरों में। काम बहुत बड़ा जबर्दस्त था, और वह काम जादू से नहीं पूरा हो सकता, बल्कि मेहनत से। हिन्दुस्तान के इन्सानों की मेहनत ने हिन्दुस्तान को आजाद किया। हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस मेहनत से मुकाबला किया बड़ी-बड़ी समस्याओं का, उसी मेहनत से अब इस हिन्दुस्तान को बनाना है। उसी एकता से, उसी जुर्रत से हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। और एक अजीब बात होती है कि जब तेजी से मुल्क बढ़ने की कोशिश करता है, तो जितना तेज हो उतना ही उसको मुकाबला करना पड़ता है। उतना ही कभी-कभी ठोकर भी खा जाता है। सिर्फ वह लोग ठोकर नहीं खाते जो हर वक्त बैठे रहते हैं, और लेटे रहते हैं। लेकिन जब कौम की रफ्तार तेज होती है तो ठोकर भी खाते हैं और ठोकर खा कर उठ कर फिर भी चलते हैं। इस तरह से हम चले हैं।

हमारा कर्त्तव्य

इस तरह तै हमने की हैं मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले। तो यह हुआ। कभी-कभी कुछ लोगों के दिल कुछ ठण्डे हो जाते हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है कि उफ यह तो ज्यादा ऊँचा पहाड़ निकला, जितना हम समझते थे उससे ज्यादा मुश्किले हैं, इसमें ज्यादा दिक्कतें हैं, हम थक गए। इस तरह से बड़े काम नहीं होते। लेकिन अगर आप इधर-उधर देखें, हिन्दुस्तान की शक्ल देखें और अपने आसपास से निगाह उठा कर दूर तक

स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए भाषण से।

देखें तो आप देखेंगे कि यह मुल्क, हमारा पुराना हजारों बरस का मुल्क, कैसे हल्के-हल्के जाग उठा और सरसब्ज होता जाता है, कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर आपके कानों में आवाज आए और दुनिया से, तो आप सुनें कि हिन्दुस्तान की निस्बत दुनिया में क्या चर्चा है। खैर, हमें दुनिया की चर्चा की इतनी फिक्र नहीं सिवा इसके कि भली बातें अच्छी लगती हैं। हमें फिक्र है अपने कर्त्तव्य की, अपने फर्ज की इस मुल्क में। बड़े काम हमने उठाए हैं और उन बड़े कामों को हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। यकीनन दिक्कतें होंगी। सब मुल्कों में दिक्कतें आजकल दुनिया में हैं। कुछ अजीब जमाने ने करवट ली है, अजीब रविश है उसकी, आजकल के जमाने की। एक तरफ हर वक्त खतरा, यह नए हथियार और एटम और हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, दुनिया के सिर पर टंगा हुआ है, जाने कब फटे। दूसरी तरफ से और बड़े सवाल हैं। पुरानी दुनिया खत्म हुई, नई दुनिया में हम रहते हैं, इस एटम बम के जमाने में, और उससे अपनी ताकत से और अपनी अक्ल से हम फायदा उठाएँ या अजहद नुकसान, मुसीबत। यह हमारी हिम्मत पर, हमारी ताकत पर, हमारी आपस की एकता पर मिलकर चलने पर है।

तो यह आपके सामने मुल्क फैला हुआ है, हिमालय की चोटी से कन्या कुमारी तक, और यहाँ दिल्ली शहर में, जिसके पीछे हजारों बरस की कहानी है, उसकी राजधानी है, और हम और आप यहाँ इस दिन को मनाते हैं, खाली दिल्ली शहर की तरफ से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की तरफ से। और जगह भी मनाया जाता है। और मनाते हैं। उसको एक खास तारीखी मौके पर।

आजादी की इमारत

दस बरस हुए, यहाँ आ कर इसी दिन, इस दिन तो शायद नहीं, १६ अगस्त के दिन, पहली बार मैं यहाँ बोला था। बस लालकिले की दीवारों से ऊपर से, और उस जमाने के बाद हर साल यहाँ आने का इत्तिफाक हुआ। आप आए, हम लोग आए, कुछ याद की, पीछे देखा और ज्यादातर आगे देखा क्योंकि आगे हमें चलना है। और इसलिए आगे देखना है। और फिर कुछ अपने इरादों को पक्का करके, हम अपने-अपने घर वापस गए। फिर हम आज जमा हुए हैं और सौ बरस की कहानी मौजूद है। और तरह-तरह के नाम हमारे पास आते हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की इज्जत बढ़ाई, हिन्दुस्तान की शान बढ़ाई और जिन्होंने अपने खून से बुनियाद डाली आजादी की, जिसको हम आज मानते हैं, क्योंकि आजादी का लेना कोई एकदम से जादू से तो होता नहीं। उसकी ईंट-ईंट करके, लगा कर वह आजादी की इमारत बनी। १०० बरस से बनना शुरू हुआ और तरह-तरह से बनी। आप जानते हैं कैसे शुरू में १०० बरस हुए, बड़े जंग हुए। बड़े-बड़े उसमें हिन्दुस्तान के नेता निकले। लोग बहस करते हैं, १०० बरस का जो आजादी का जंग था, उस की निस्बत, हमारे इतिहास लिखनेवाले बड़ी-बड़ी किताबें लिखते हैं, और ठीक है, क्योंकि कई रायें हो सकती हैं। किस ने उस का इन्तजाम किया, किस ने उस का संगठन किया, क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन मोटी बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के लोग, या हिन्दुस्तान के अक्सर लोग उठे और जो पराया राज था उसे हटाने की कोशिश की। इस में शक है किसी को? और उस में वह मिल कर उठे। अलग-अलग मजहब के लोग, हिन्दू मुसलमान, मिल कर उठे, मिल कर कोशिश की और मिल कर मुसीबतें झेलीं। इस में तो कोई शक नहीं है। किसी ने इसका पहले से इन्तजाम किया था या नहीं यह इतिहास के लिखने वाले बताएँ और कोशिश करें जानने की। तो इस लिए, यकीनन यह सही बात है कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई, जंग, वह थी सन् १८५७ की। माना उस वक्त हिन्दुतान दूसरा था, उस वक्त हिन्दुस्तान राजाओं का था, उस वक्त हिन्दुस्तान बहादुरशाह बादशाह का था, माना। लेकिन उस वक्त जो हिन्दुस्तान था उस ने अपनी आज़ादी की कोशिश की और आम जनता ने भी अक्सर उसमें शिरकत की, और बड़े-बड़े नाम आए उस में। आप वाकिफ़ हैं उन नामों से। लेकिन उन सब नामों में बड़े नाम थे तांतिया टोपे, एक बहादुर आदमी, नाना साहब थे, और लोग थे, कुंवर सिंह थे बिहार के।

इलाहाबाद के भी एक थे लियाकत अली खां, जिन्होंने इन्तहा दर्जे की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन इन सब नामों में मुझे तो प्यारा एक नाम है, और शायद आप को भी हो, वह था लक्ष्मी बाई रानी का। ये सब नाम हैं हमारे दिलों में आज हैं, कल रहेंगे, और सैकड़ों बरस याद तक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस मशाल को जलाया जिसको फिर उनके बाद पुश्त दर पुश्त जलाए रखने का काम हमारा था, कौम का रहा और जलाया। और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने भी अपने जमाने में, अपनी पुश्त में हाथ उठा कर उस मशाल को जलता रखा और उसे कभी नीचा नहीं होने दिया, और जब कभी हमारे हाथ या बाँह कमजोर हुए दूसरे लोग मौजूद थे, हमसे लेके आगे बढ़ने के लिए। ये पुराने जमाने की बातें हैं। आप और हम पुराना मुल्क तो हैं जिसके पीछे हजारों बरस की कहानी है, लेकिन हम एक नया मुल्क भी हैं और कुछ जवानी का जोश भी है, एक जवान मुल्क है। एक तरफ से हम पाँच छः हजार बरस पुराने मुल्क हैं, एक तरफ से हम दस बरस की उम्र के बच्चे हैं, मजबूत बच्चे हैं, तगड़े बच्चे हैं, और जोश जवानी दिल में है और आगे बढ़ते हुए बच्चे हैं।

तो फिर यह दिन आप को मुबारक हो और इस दिन फिर

से हम जरा कुछ समझें कि कहाँ हम जा रहे हैं। वह लड़ाई जो सौ बरस हुए, शुरू हुई, खून से वह दबाई गई, हालाँकि आजादी की लड़ाई दबती नहीं है, दब जाती है, कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद तरह तरह के बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े नेता हमारे। उन्होंने उस मशाल को उठाके रोशन किया हमारे दिलों को।

सब से मैत्री हमारा ध्येय

हमारी लड़ाई दुनिया में किसी मुल्क से नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो हमारा एक टुकड़ा है, हमारे दिल और बाजू का टुकड़ा है। कैसे हम सोचे उनसे लड़ने की? यह तो अपने को ही नुकसान पहुँचाना है। और अगर वह हिमाकत से समझें अदावत करने की हमसे तो वह अपने को नुकसान पहुँचाएँगे। यह अजीब रिश्ता है हिन्दुस्तान का और पाकिस्तान का। अजीब रिश्ता, कि रंजिश भी हो, एक दूसरे के खिलाफ कभी-कभी कुछ गुस्सा भी चढ़े, लेकिन अखिर में वह रिश्ता इतने करीब का है, हजारों बरस से कि कानूनों से वह नहीं मिट सकता है। और अगर कोई जरा नुकसान हिन्दुस्तान को हो, यकीनन पाकिस्तान को नुकसान होता है, और पाकिस्तान को अगर हो तो हिन्दुस्तान को है। इसलिए हम चाहते हैं कि अमन से रहें, दोस्ती से रहें, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता रहे, बढ़े, वह अपनी आजादी में खुश रहे, हम अपनी आजादी में। लेकिन इसके मानी नहीं हैं, जाहिर है कि हम किसी धमकी से दबें। या अपने हुकूक को छोड़ दें धमकियों से। यह न हमारे लिए इन्साफ है, अपने लिए, न उनके लिए, न किसी और के लिए, न मिसाल अच्छी है।

चुनांचे हम अपने हक पर कायम रह कर मजबूती से ठण्डे दिल से आगे बढ़ेंगे। हम हर मुल्क से दोस्ती चाहते हैं। हम नहीं पसन्द करते उसको जो ठण्डी लड़ाई या 'कोल्ड वार' कहलाती। हम समझते हैं कि ठण्डी लड़ाई के मानी हैं दुश्मनी, हर वक्त दिल में रखना, हसद रखना और यह गलत चीज है। अपने दिल को तंग कर देने से कोई मुल्क नहीं बढ़ता है। चुनांचे हमारा हाथ फैला हुआ है मिलाने को हर मुल्क से और हर एक से दोस्ती के लिए। लेकिन आखिर में हमारा काम तो है अपने मुल्क में, हमारी इज्जत होगी उतनी ही कि जितना हम अपना काम करें और अगर आज दुनिया में हमारी इज्ज़त है और कद्र है तो इसलिए कि इस दस बरस के काम को देखकर दुनिया समझती है कि एक जबरदस्त कौम फिर मैदान में आई है, काम करनेवाली कौम है और तेजी से बढ़ रही है। तो इस दस बरस के काम को देखकर हमारी दुनिया में आजकल कद्र है। लेकिन आखिर में चुनांचे काम हमारे मुल्क का है और आपको और हमें मिल कर उसको करना है और आपको और हमें मिल कर जो आरजी दिक्कत है उनका सामना करना है, उन पर हावी आना है, आगे बढ़ना है और इस तरह से कदम ब कदम आगे बढ़ेगी, कौम की तकलीफें कम होंगी, काम बढ़ेंगे, मुल्क में हलके हलके हम बेकारी को खत्म करेंगे और वह जो खासकर हमारे बहुत सारे मुसीबतजदा भाई बहन हैं, गाँवों में या शहरों में जिनके ऊपर आज नहीं, सैकड़ों बरस से गरीबी का बोझा है, वे बोझे हटेंगे। यह तस्वीर हमारे सामने है।

एक मंजिल खत्म हुई आजादी की, दस बरस हुए, दूसरा सफर शुरू किया, दूसरी मंजिल आगे है। वहाँ भी हम एक दिन पहुँचेंगे और फिर हम और आप मिलकर इस बात को मनाएंगे कि हमने इस मुल्क की गरीबी को भी निकाल दिया जैसे गुलामी को निकाला था। जय हिन्द!

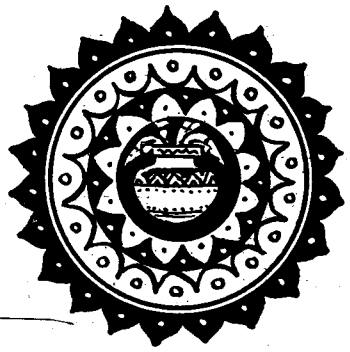

महारानी लक्ष्मीबाई

लक्ष्मणराव दामोदरराव

महारानी लक्ष्मीबाई के पौत्र के नाते उनके वंश में उत्पन्न होने का गौरव मुझे प्राप्त अवश्य है, किन्तु स्वर्गीय महारानी रणचण्डी का रूप धारण कर सारे देश की ही बन चुकी हैं। १६ वीं शताब्दी में जब भारत में विदेशी सत्ता अपनी लिप्सा में राज्य हथियाने में संलग्न थी, तब एक ज्योतिपुंज की तरह वह प्रगट हुई, जिसने समूचे भारत को स्वतन्त्रता के आलोक से आलोकित कर दिया और आजादी की मंजिल तक पहुँचने का मार्ग दिखलाया।

लक्ष्मीबाई का जन्म, जिनके बचपन का नाम मनुबाई था, वाराणसी में १६ नवम्बर १८३५ ई० को मोरोपन्त ताम्बे के यहाँ हुआ था। दुर्योग से मनुबाई को बचपन में ही माता के स्नेह से वंचित होना पड़ा। इस बात का तो कोई मापदण्ड नहीं है कि पितृ स्नेह मातृ स्नेह की पूर्ति कहाँ तक कर सका, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अधिकांश समय तक पिता के साथ पेशवा के दरबार में रहने से मनुबाई में पुरुषोचित गुण अधिक मात्रा में पाए जाने लगे थे।

पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्रों के साथ रह कर मनुबाई हथियार चलाने, घुड़सवारी आदि में निपुण हो गई। बचपन में वह अपने साथियों के साथ खेल में स्वयं रानी बनती और दूसरों को प्रजा व चोर डाकू का कार्य करना पड़ता था। मनुबाई उन नकली चोर डाकुओं को खेल में सख्त सजा देती व प्रजा में सुव्यवस्था बनाए रखने के प्रयत्न करती।

एक बार जब पेशवा के पुत्र हाथी पर सैर सपाटे के लिए जा रहे थे कि बालिका मनु भी हाथी पर बैठने के लिए जिद करने लगी। तब पिता मोरोपन्त के पूछने पर कि तेरे भाग्य में हाथी कहाँ है, बालिका मनु ने आवेश में उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में एक नहीं, दस हाथी हैं।

बचपन में मेरी दादी मनुबाई अत्यन्त सुन्दर, सुडौल एवं चतुर थीं, इसी से बच्चों के साथ आमोद-प्रमोद में स्नेहवश बाजीराव उन्हें 'छबीली' कहा करते थे। मनु बाई बाजीराव के बच्चों के साथ रह कर वीरोचित शिक्षा ग्रहण करने लगीं। वह राज्य प्रबन्ध एवं रणकौशल में प्रवीण हो गईं।

'होनहार बिरवान के होत चीकने पात', बालिका मनु में शैशव काल से ही अलौकिक गुण दीख रहे थे। वह सयानी हो गईं और उनका विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव से सम्पन्न हो गया। विवाह के समय मनुबाई ने पुरोहित से कहा था—"देखिए पुरोहित जी, गाँठ ठीक तरह से बाँधिए, जिससे झाँसी से मेरा चिर सम्बन्ध रहे।" बात अल्हड़पने में निकली, लेकिन पते की

थी। आज इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुबाई झाँसी से ऐसी बँधी कि झाँसी के साथ आज उन्हीं का नाम अमर है।

बचपन से मनुबाई वाक् चतुर थी। वह बोलने में प्रभाव उत्पन्न करती थीं। उनके इसी निर्भीक स्वभाव के कारण वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध उस समय एक सुगठित सेना का नेतृत्व कर सकीं।

इस वीर माँ ने झाँसी में आते ही वहाँ की काया पलट दी। सर्वत्र वीरता के दृश्य दृष्टिगोचर होने लगे। व्यायाम-शालाओं में, रण-शिक्षा में, हथियार चलाने में, सर्वत्र जोश दिखाई देने लगा। वह स्वयं अपनी सहेलियों सहित कभी घुड़सवारी में, कभी हथियार चलाने में और कभी रण शिक्षा प्रांगण में दिखाई देती थीं। उन्होंने राज्य शासन में पर्याप्त सुधार कर लिया।

राज्य में उन्होंने महिलाओं की एक सेना का निर्माण किया। मोतीबाई, काशीबाई, सुन्दर आदि इस संगठन में प्रमुख थीं। उन्हें घुड़सवारी, हथियार चलाने, आदि की शिक्षा दी जाती थी। पुरुषों में भी इसी प्रकार की एक विशिष्ट मण्डली का प्रारम्भ उन्होंने किया था।

उनकी यह तीव्र चयन शक्ति केवल स्त्री-पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, अश्वों की भी उनको परख थी। कहा जाता है कि एक बार एक सौदागर बिलकुल एक सरीखे दो घोड़े बेचने के लिए दरबार में लाया। रानी ने उनमें से एक का दाम १,००० रुपए और दूसरे का दाम ५० रुपए लगाया। सौदागर के पूछने पर कि समान घोड़ों में से एक की कीमत एक हजार रुपए क्यों और दूसरे की ५० रुपए क्यों, रानी ने तुरन्त उत्तर दिया—"कम कीमत वाले घोड़े की छाती कमजोर है।" सौदागर ने इस बात को स्वीकार किया कि उस घोड़े की छाती में एक पुरानी चोट थी।

महारानी की स्मरण-शक्ति तीव्र थी। दरबार में प्रायः नित्य ही सरदार लोग आ कर मुजरा किया करते थे। कार्यवश यदि कोई सरदार एक दिन न आ कर दूसरे दिन दरबार में उपस्थित होता था, तो वह उससे पिछले दिन न आने का कारण पूछ बैठती थीं। इसी प्रकार एक बार किसी मनुष्य से परिचित हो जाने पर उसे पहचानना उन्हें सुलभ हो जाता था।

महारानी का वैवाहिक जीवन सुखमय था, जो अल्प काल तक ही रहा। मेरे बाबा राजा गंगाधर राव उनसे विभिन्न राजकीय तथा अन्य मामलों में सलाह लेते थे। उनमें वात्सल्य प्रेम था, इसीलिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में वह अपने दत्तक पुत्र के खान-पान आदि बातों को स्वयं देखती थीं। उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो शिशु अवस्था में ही चल बसा था।

अपनी रण-चातुरी एवं बहादुरी का जो परिचय महारानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में दिया, उससे अंग्रेज दंग रह गए। वह दोनों हाथों से सफलतापूर्वक तलवार चला सकती थीं। इस घमासान युद्ध में जो असाधारण वीरता उन्होंने दिखलाई, वह इतिहास में अमर है। किन्तु इस विषम परिस्थिति में भी उनकी उदारता में किसी प्रकार की कमी न आई थी। युद्ध के दिनों में स्वयं भूखे रह कर भी सिपाहियों की खुराक का वह पूरा प्रबन्ध करती थीं। सिपाही गर्व से गाया करते थे—"अपने सिपाहियों को पूड़िया खिलावे और आप खाए गुड़धानी, मेरी झाँसी वाली रानी"। कई अंग्रेज़ महिलाओं एवं अबोध बच्चों को उन्होंने अपने संरक्षण में रख कर उनके खान-पान की व्यवस्था की थी। यह उनकी न्याय प्रियता एवं दया-भाव का परिचायक है।

उनके देश प्रेम, स्वाभिमान एवं धर्म प्रेम का पता इस अन्तिम इच्छा से लगता है कि मरने से पूर्व उन्होंने यह इच्छा प्रगट की थी कि कोई भी विदेशी उनके शरीर को स्पर्श न कर सके। जैसा ऊँचा उनका आदर्श था, उससे भी अधिक चमत्कारिक था उनका कर्म। तभी आज भी वह सारे देश को प्रेरणा दे रही हैं।

ग्रामदान

हमारा ग्राम जीवन आज रेत के दानों की तरह बिखरा पड़ा है। कोई भी सरकार, चाहे वह कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट, अपनी मर्ज़ी से ही सामूहिक ढंग से सारे काम नहीं करा सकती। केवल ग्रामदान से गाँव का और उससे देश का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। केवल ग्रामदान से ही भारत का राजनीतिक तथा आर्थिक ढाँचा बदला जा सकता है और देश में असली समाजवाद की स्थापना की जा सकती है।

—जयप्रकाश नारायण

टोंक विकास खण्ड की प्रगति

टोंक विकास खण्ड में १६ मई सन् १९५६ से राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के तत्वावधान में विकास कार्य का श्रीगणेश किया गया। इस वर्ष दिन प्रतिदिन जनता उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है। भिन्न-भिन्न ग्रामों में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, स्वच्छता एवं सफ़ाई, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, एवं यातायात की सुविधाएँ तथा सहकारिता के सम्बन्ध में उन्नति हुई है।

कृषि

विभिन्न ग्रामों में ग्राम सेवकों एवं विकास अधिकारियों के प्रयास से और कृषि विभाग एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से कृषि सम्बन्धी निम्नांकित कार्य किए गए हैं और इनमें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है :

खाद के १,४२० गड्ढे खोदे गए जिनमें ४,२१,७५० मन अच्छा खाद तैयार किया गया। इसे व्यवहार में लाने से रबी की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। १०२ एकड़ भूमि में हरी खाद का प्रयोग किया गया। ७५३ मन ५ सेर रासायनिक खाद बेची गई और प्रयोग में लाई गई। इस खाद के प्रयोग से पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। ७१ स्थानों पर विभिन्न फसलों के प्रदर्शन स्थान बनाए गए, जिससे आशातीत सफलता प्राप्त हुई। २६५एकड़ भूमि को खेती के लिये साफ़ किया गया व ८६४½ एकड़ भूमि में विभिन्न तरीकों एवं औषधियों के प्रयोग से फसलों की रक्षा की गई। ८२६ एकड़ भूमि में सुधरे हुए अभ्यास के जरिए पैदावार में वृद्धि की गई। ५४७५ मन उन्नत बीज तकावी के रूप में दिए गए। १३२½ एकड़ में सब्ज़ी की काश्त कराई गई एवं १,४७७ फलदार वृक्ष लगाए गए।

सिंचाई

और अधिक इलाके में सिंचाई करने के लिए ३६ पक्के कुएँ और ६३ कच्चे कुएँ नए बनाए गए व २५ पुराने पक्के कुओं की मरम्मत कराई गई। विकास खण्ड की ओर से ४२,३०० रुपए नवीन पक्के कुओं के निर्माण के लिए एवं १७,७०० रुपए पुराने पक्के कुओं के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए। इस प्रकार कुल ६०,००० रुपए तकावी के रूप में दिए गए। इसके अलावा आबपाशी विभाग द्वारा नहरें बनाई गई व यह कार्य अभी जारी है, जिसके मौजूदा बाँधों व तालाबों से अधिक क्षेत्र सिंचित किया जाएगा। मावसी नदी पर बाँध बाँधा जा रहा है व इसके लिए नहरें बनाई जा रही हैं, जिससे ४० से अधिक ग्राम सिंचाई का लाभ उठा सकेंगे और सहस्रों एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगेगी। १३ रहट भी लगवाए गए।

पशु पालन

पशुओं की नस्ल सुधारने व उनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए—१६७ बैल पाड़े बधिया किए गए, २१,४४ मवेशियों के खुरस्नान कराया गया एवं १,७६७ मवेशियों को विविध रोगों के उपचार हेतु औषधियाँ वितरित की गईं।

मुर्गी पालन के सम्बन्ध में ४० अच्छी नस्ल के मुर्गे वितरित किए जा चुके हैं जिससे नस्ल का सुधार कार्य प्रारम्भ हो गया है।

जन स्वास्थ्य एवं सफ़ाई

विस्तार सेवा खण्ड द्वारा पीपलू ग्राम में २,५०० रुपए स्थानीय विकास विभाग से डिस्पेन्सरी बिल्डिंग के लिए दिलवाए गए। २,००० रुपए की औषधियाँ ग्राम सेवकों को वितरित की गईं, जिससे २७६० रोगी लाभ उठा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी दवाईयाँ टोंक अस्पताल से ला कर वितरित की गईं। तीन ग्राम सेवकों को आयुर्वेदिक औषधियों की मंजुषा दी गई, जिससे काफी व्यक्ति लाभ उठा चुके हैं।

अक्तूबर के मास में स्वास्थ्य पक्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विकास खण्ड के प्रत्येक ग्राम में सफाई अभियान पूर्ण सफलता के साथ चला। बच्चों की ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर व जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रतियोगिता हुई। इनाम भी बाँटे गए। शिशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। १५५ कुओं में दवाइयाँ डाल कर उनके जल को कीटाणु रहित किया गया।

२५० घरों में डी० डी० टी० छिड़की गई तथा १,८७५ व्यक्तियों में मलेरिया निरोधक दवाईयाँ वितरित की गईं।

१४ ग्रामों में विशेष तौर पर कमजोर व बीमार बच्चों में रोज़ दूध और दवाइयाँ बाँटी जाती हैं, जिससे २५४ बच्चे फायदा उठा रहे हैं। हर मास में प्रायः दो बार डाक्टर साहब स्वयं इन ग्रामों में जा कर इन बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष रूप से जाँच करते हैं। ३,४०० बच्चों के टीके लगवाए गए हैं और १,४६५ बच्चों को टी. बी. के टीके लगाए जा चुके हैं।

स्वच्छ कुओं के निर्माण, मरम्मत एवं आदर्श कुओं में परिवर्तन

के सम्बन्ध में ४२,२०० रुपए की धन राशि स्वीकृत की गई जिससे ४७ नवीन आदर्श स्वच्छ कुओं का निर्माण हो रहा है एवं ८ पुराने कूओं की जीर्णोद्धार हो रहा है। इस काम में जनता धन और श्रम से सहयोग दे रही है।

प्रदर्शन के लिए १७ पक्के ग्राम शौचालयों व ७ पक्के ग्राम मूत्रालयों के लिए १,१०० रुपए की धन राशि स्वीकृत की गई है, बाकी रकम जन सहयोग से प्राप्त हुई है। २१० धूम्र रहित चूल्हों का निर्माण किया गया है।

शिक्षा

विकास खण्ड की ओर से पाँच प्राईमरी स्कूल खोले गए, चार लड़कों के लिए व एक लड़कियों के लिए। इनमें ८० बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूलों के मकान बनाने के लिए विस्तार खण्ड ने १६,५०० रुपए दिए, जिससे १७ नवीन प्राथमिक शाला भवन बन रहे हैं। आशा है आगामी शिक्षा वर्ष से स्कूल नए मकानों में लगने लगेंगे।

समाज-शिक्षा

इस खण्ड में दस ग्राम सेवक हैं। प्रत्येक के क्षेत्र में एक-एक समाज शिक्षा केन्द्र खोला गया है। ४५ ग्रामों में रेडियो वितरित किए जा चुके हैं। लोगों में रेडियो सुनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। १६ स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें ३८१ प्रौढ़ों ने लाभ उठाया।

दो स्थानों पर बाल उद्यान व पब्लिक पार्क बनाने के लिए विकास खण्ड की ओर से १,८०० रुपए दिए गए हैं जिनमें जिमनास्टिक एवं खेल के अन्य सामान जैसे झूले इत्यादि का प्रबन्ध किया गया है।

६ स्थानों पर सिलाई की मशीनें मुहैया करके स्त्रियों के मनोरंजन एवं कार्य केन्द्र खोले गए हैं। तीस स्थानों पर भजन-मण्डलियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें ३५४ व्यक्ति भाग लेते हैं। इन कामों में ५० प्रतिशत धन जन सहयोग से प्राप्त हुआ।

४ बाल मण्डल बनाए जा चुके हैं, जिनके ६८ सदस्य हैं। इसी प्रकार ६ नवयुवक मण्डल खोले जा चुके हैं, जिनके १४१ सदस्य हैं। पंचायतों का तो विकास कार्य में अधिक सहयोग प्राप्त होता ही है, परन्तु इससे भी अधिक व्यापक व शीघ्र सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से २० पंचायतों के अतिरिक्त १६ विकास मण्डल भी बनाए गए हैं।

बीस पंचायत हेडक्वार्टरों व दसों ग्रामसेवकों के हेडक्वार्टरों—इस प्रकार कुल ३१ स्थानों पर पुस्तकालय व वाचनालय खोले गए हैं, जिनसे सहस्रों व्यक्ति रोज़ाना लाभ उठाते हैं। दसों ग्रामसेवकों के हेडक्वार्टरों पर व विकास खण्ड के हेडक्वार्टर पर सूचनालय भी खोले गए हैं। पंचायत हेडक्वार्टर के पुस्तकालय व वाचनालय के लिए जितनी रकम विकास खण्ड से सहायता के रूप में दी गई है, उससे दुगनी पंचायतों ने दी है।

तीन ग्रामों में विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिससे हज़ारों गाँववालों ने लाभ उठाया और इस विषय में जनसाधारण के जीवन सम्बन्धित सभी पहलुओं का समावेश होने से ये प्रदर्शनी अत्यधिक सफल रहीं। इस सम्बन्ध में एक नाटक भी खेला गया जो काफी सफल रहा। विकास योजना समारोह के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम भिन्न-भिन्न ग्रामों में आयोजित किए गए जिनमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के बारे में समझाया गया।

यातायात

३ फर्लांग का एक पक्का प्रवेश मार्ग व एक फर्लांग लम्बा ग्राम मार्ग (पक्का) व दस स्थानों पर पुलों व खरंजों के लिए विकास खण्ड की ओर से १५,५०० रुपए की धन राशि स्वीकृत की जा कर कार्य कराया गया है। इस कार्य में जन सहयोग से ६,००० रुपए से अधिक धन प्राप्त हुआ है।

सहकारिता

अब तक इस विकास खण्ड में १६ विकास समितियाँ खोली जा चुकी हैं, जिनके ४५३ सदस्य हैं। २३ अन्य समितियों का रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है। १५,५०० रुपए कर्ज दिया जा चुका है। सहकारिता से सम्बन्ध में एक सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता के विषय में ग्रामीणों को पूरी तरह से परिचित कराने की कोशिश की गई।

अब तक इस विकास खण्ड में २,६१,५६५ रुपयों का श्रमदान हुआ है व ११,२१० रुपए नकद जन सहयोग के प्राप्त हुए हैं।

पाँच नवीन ग्रामों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुव्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा गया है। यह कार्य भी शीघ्र सम्पन्न होने की आशा है।

६५ भूमिहीन कृषकों को ५७३ बीघा भूमि दी गई।

★

प्रसिद्धी का प्रभाव

प्रमोद माकोड़े

"जय हिन्द सरपंच जी, जय हिन्द !" ग्राम सेवक पुरोहित जी ने मुण्डलाराम गाँव के सरपंच को अभिवादन करते हुए कहा।

"राम राम, भई राम राम, कौन हैं ?" प्रश्न करते हुए सरपंच जी ने अपनी पीठ फेर कर देखा।

"ओहो, ग्राम सेवक जी, बैठो, बैठो। आज कैसे पधारे ? अभी तीन रोज पहले ही तो आप आए थे।" सरपंच जी ने अपना वाक्य पूर्ण किया।

"हमारा तो काम आपसे मिलने का है। तुम मानो या न मानो, हम तो आपके गाँव के मेहमान बने रहेंगे।" मुस्कराते हुए ग्राम सेवक जी बोले।

इतने में गाँव के बीस-पच्चीस किसान वहाँ इकट्ठे हो गए। सरपंच जी खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—

"काम ? क्या काम करोगे ? एक शाला भवन बनाना है, वह भी सरकार नहीं बनवाती। गिरा हुआ मकान है, अधूरी छत है, बच्चे बारिश में पढ़ने नहीं बैठ सकते। गरमी में धूप लगती है।"

"शाला भवन के लिए मैंने आपको चार-पाँच बार समझाया, परिश्रम आप करो, विकास खण्ड से सामान की सहायता मिलेगी। इस प्रकार आधे रुपए आप देंगे और आधे सरकार।" ग्राम सेवक जी ने पुरानी बात को दोहराया।

"सेवक जी, सब जगह तो सरकार पाठशालाएँ बनवा रही है और हमारे ही गाँव से आधा पैसा क्यों लिया जा रहा है ?" पटेल जी आवेश में बोले।

सब किसान पटेल जी और ग्राम सेवक के चेहरे को निहार रहे थे कि ग्राम सेवक जी का मुँह कैसा बन्द किया है।

ग्राम सेवक जी ने मुस्कराते हुए कहा—"पटेल जी, आप गलत समझ रहे हो। हर जगह गाँववाले श्रम और नकदी मिला कर आधा रुपया इकट्ठा करते हैं, नक्शे के अनुसार ओवसियर साहब कीमत लगाते हैं। उस हिसाब के आधार पर विकास खण्ड आधे रुपए गाँव की निर्माण समिति को दे देता है। कल के अखबार में ही खबर देखिए। डोडियाना गाँव की खबर छपी है। डोडियाना आपके गाँव से छोटा है, आप जानते ही होंगे।"

बीच में रामू बोला—"हाँ सेवक जी, सरपंच जी की छोरी की वहाँ सुसराल है। गए साल बरात आई थी।"

"हाँ, वही गाँव," ग्राम सेवक जी ने आगे कहा—"यहाँ से १४ मील है। उन्होंने शाला भवन के लिए १,०१७ रुपए इकट्ठे किए और इतने ही रुपए का श्रम करना स्वीकार किया। विकास खण्ड अधिकारी ने भी दो हजार रुपए की स्वीकृति दे दी। अखबार मैं साथ लाया हूँ। पढ़ो पटेल, दूसरे पन्ने पर मैंने स्याही से निशान लगाया हुआ है।"

पटेल ने गाँववालों को खबर पढ़ कर सुनाई। लोग एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। आपस में कहने लगे—"छपने से तो डोडियाना का नाम हो गया। दूर-दूर के लोगों ने खबर पढ़ी होगी। डोडियाना का तो नाम ऊँचा हुआ।"

"क्यों सेवक जी, हमारे गाँव की खबर छपेगी या नहीं ?" शंकित स्वर में सरपंच ने पूछा।

"क्यों नहीं, अवश्य छपेगी," ग्राम सेवक जी ने उत्तर दिया।

सरपंच व पटेल ने चौकीदार को और एक-दो युवकों को उसी समय भेज कर गाँववालों को इकट्ठा करवाया। सरपंच जी ने शाला भवन की बात लोगों को समझाई और हल पीछे रुपयों का प्रस्ताव रखा। पर लोगों ने तो स्वेच्छा से ही ११,१५,२१ और ५१ रुपए तक धन दिया। थोड़ी देर में १,०४५ रुपए इकट्ठे हो गए।

सरपंच जी ने वह खबर अखबार में भेज दी। चार रोज में खबर छप कर आ गई। उसे पढ़ कर गाँववाले दूने उत्साह से काम करने लगे। आज मुण्डलाराम गाँव का शाला भवन लगभग पूर्ण हो गया है। यह था अखबार का प्रभाव और ग्राम सेवक पुरोहित जी के काम का सफल तरीका।

★

पूर्वजों से भी महान्

आप यह मत समझिए कि आप छोटे हैं। आप अपने महान् पूर्वजों की सन्तति हैं और उनसे महान् हैं, क्योंकि जो काम पुराने लोगों ने नहीं किए, उन्हें हम कर सकते हैं और वे हमें करने हैं। हम सारी दुनिया में शान्ति की स्थापना करना चाहते हैं। उसके लिए स्वामित्व की भावना को मिटाना अत्यन्त आवश्यक है।

—सन्त विनोबा

मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास

महाकौशल, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों के विलीनीकरण के परिणाम स्वरूप दिनांक १ नवम्बर १९५६ को नवीन मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। नए राज्य के गठन के उपरान्त क्षेत्र और आबादी, दोनों ही दृष्टिकोणों से मध्य प्रदेश के सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में विशेष परिवर्तन आ गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे राज्य को ४०४ विकास खण्डों में विभाजित करने का प्रस्ताव है। इस समय राज्य में कुल १८२ विकास खण्ड चालू हैं, जिससे राज्य का ४५ प्रतिशत से अधिक क्षेत्र और एक करोड़ से अधिक जनसंख्या विकास सेवा के अन्तर्गत आ गई है।

जनता अब स्वेच्छा से विकास-कार्यों, विशेष कर पेय जल के कुओं, ग्रामीण चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य-केन्द्रों के सदृश तत्काल आवश्यकता के कार्यों में सहयोग दे रही है। ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। उन्होंने राज्य के पुनर्गठन से ले कर इस वर्ष मार्च महीने के अन्त तक नगद, श्रम, सामान तथा यातायात-सेवाओं के रूप में बीस लाख रुपए मूल्य का योगदान दिया। इस प्रकार पूरे एक वर्ष का जनता का योगदान लगभग ६० लाख रुपए मूल्य का हो गया।

कृषि

खण्डों में कृषि-उत्पादन की अभिवृद्धि पर अत्यधिक बल दिया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ले कर अब तक काँस-आच्छादित ४ लाख एकड़ एवं अन्य अकृष्य भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और जोता गया। ८,४२२ सिंचाई के नए कुओं, २४७ तालाबों, ७३२ बाँधों के निर्माण तथा ५२५ सिंचाई के पावर पम्पों को लगाने से स्थायी सुधार हो गए हैं और इनसे १,५५,६५७ एकड़ भूमि को सिंचित करने की सुविधा प्राप्त हो गई है। उन्नत बीज, उन्नत कृषि-पद्धति तथा उन्नत कृषि-उपकरणों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। कृषकों के बीच ५,९१,०२२ मन उन्नत बीज तथा ७,२०,१३७ मन उन्नत उर्वरक वितरित किए गए। विस्तार-विभाग के कर्मचारियों द्वारा ४२,४४४ क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा परिणाम एवं रीति प्रदर्शन आयोजित किए गए। ४२,२४७ एकड़ भमि में घर-आँगन की खेती प्रारम्भ की गई और ६,६३० एकड़ अतिरिक्त भूमि पर फलोद्यान लगाए गए। पौध संरक्षण को दृष्टि में रख कर १३,५०० एकड़ भूमि पर उपयोग के हेतु कीटनाशक औषधि वितरित की गई।

पशु-सम्वर्द्धन

राज्य में १२६ से अधिक गर्भाधान केन्द्र चल रहे हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने के निमित्त अच्छी नस्ल के ७८९ साँड ग्रामीणों को दिए गए। ९,६५६ अच्छी नस्ल के पक्षी भी दिए गए। पशु चिकित्सालयों द्वारा पशुओं की चिकित्सा की जाती है और चलती फिरती मोटरों द्वारा दूरवर्ती गाँवों में पशु चिकित्सा की सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

विभिन्न विकास खण्डों में २५२ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा १३५ मातृका एवं शिशु कल्याण केन्द्रों द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाई जा रही है। चल-चिकित्सा-वाहनों द्वारा दुर्गम स्थानों में रहनेवाले ग्रामीणों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पहुँचाई जाती है। टीके लगाने के कार्यक्रम में भी अच्छी प्रगति हो रही है। ग्रामीण अब स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ५,१९२ शौचालय वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए हैं। ३,८८,६६० गज नालियाँ बना कर जल बहने की नालियों में सुधार किया गया है। अत्यधिक संख्या में कम्पोस्ट गड्ढे तथा सोख्ता गड्ढे तैयार किए गए। पेय जल के ४,३२९ नए कुएँ खोदे गए तथा ३,५०३ पुराने कुओं का जीर्णोद्धार एवं सुधार किया गया। हाथ से चलानेवाले पम्प भी लगाए गए हैं।

शिक्षा

ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ३,७९० नवीन पाठशालाएँ खोली गई हैं और ६६८ प्रारम्भिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया है। नवीन शाला भवन भी निर्मित किए गए हैं। राज्य के शिक्षा कार्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

समाज शिक्षा

ग्रामीण जनता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। ४,१०६ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

खोले जा चुके हैं जिनमें ७७,४३० व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं। ६,२६३ सामुदायिक केन्द्र चल रहे हैं। युवक-क्लब, कृषि-क्लब महिला समिति, विकास-मण्डल भी संगठित किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या ११,४१६ है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता को बतलाने के उद्देश्य से नाटकों तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण नेता-प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। मार्च १६५७ तक १६.६६० व्यक्ति ग्राम-नेता का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

यातायात

संयोजक मार्ग पर्याप्त संख्या में बनाए गए हैं। १,१५१ मील ४ फर्लांग लम्बी पक्की सड़कें और ३,३७८ मील लम्बी कच्ची सड़कें पूरी बन चुकी हैं। अनुमानतः ५,००० मील लम्बी पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई।

ग्रामीण कला एवं शिल्प

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के विकास और उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियों में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में १८६ प्रदर्शन उत्पादन-प्रशिक्षण-केन्द्र चल रहे हैं। विभिन्न शिल्प-कला में ५,७०१ ग्रामीण प्रशिक्षित किए गए हैं। बुनाई, चर्मकार्य, लुहारी, बढ़ई गिरी, साबुन बनाना आदि प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण अंग है।

सहकारिता

सहकारी समितियों के गठन पर विशेष बल दिया जा रहा है। सहकारिता-आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। ४,२१० नई सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं और १,४४,४०४ नए सदस्य बनाए गए हैं।

विकास-खण्डों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखने के प्रयत्न हो रहे हैं। ग्राम सेवकों तथा पर्यवेक्षकीय विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ६ बुनियादी कृषि-शालाएँ तथा ५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र राज्य में चल रहे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष ८०० व्यक्ति प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण के हेतु चार गृह विज्ञान-कक्ष चल रहे हैं। लुहारी, बढ़ईगिरी, कारीगरी आदि में कुशल व्यक्तियों का अभाव है और व्यक्तियों को ऐसे शिल्पों में प्रशिक्षित करने के हेतु चार कर्मशालाएं चालू हैं।

★

विस्तार की परिभाषा—[पृष्ठ १४ का शेषांश]

प्रदर्शनकर्त्ता के गुण

अन्त में इन साधनों के प्रयोग करनेवालों के गुणों पर भी कुछ शब्द लिखना असंगत न होगा। श्रव्य-दृश्य दर्शन का प्रभाव और सफलता उसके समझानेवाले या प्रयोग करनेवाले के ढंग पर निर्भर है। इसके लिए उपयुक्त आयोजन की आवश्यकता होती है जिसके लिए उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।

(१) प्रदर्शन मनोरंजक हो तथा भाषा में रोचकता हो।

(२) प्रदर्शन के पूर्व जाँच लें कि उसे सब भली-भाँति देख और सुन सकते हैं।

(३) प्रदर्शन के समय यह जाँच लेना चाहिए कि उससे सम्बन्धित सब सामग्रियां उपलब्ध हैं।

(४) प्रदर्शन विविध प्रकार के हों।

(५) प्रदर्शन न तो इतना छोटा हो कि लोग उससे प्रभावित न हों और न ही इतना लम्बा कि लोग उससे ऊब जाएँ।

(६) अन्त में उसे ऐसे स्थान पर समाप्त करें कि लोगों की जिज्ञासा बनी रहे और वे उसके लिए लालायित हो उठें तथा आगे के कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें।

(७) प्रदर्शनकर्त्ता को अपने साधनों के प्रयोग के प्रभाव की भी जाँच करनी चाहिए ताकि वह उसकी उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता को भी जान सके।

(८) चित्रों या अन्य साधनों को छाँटने में सावधानी चाहिए।

इन साधनों से न केवल समाज के सदस्यों की कार्यक्षमता और आय की वृद्धि की जा सकेगी, बल्कि इससे उनमें आत्म-विश्वास, स्वावलम्बन और सामाजिक भावना जागृत होगी। इन गुणों के जागृत होने पर स्वयं नए-नए प्रयोगों की ओर रुचि बढ़ेगी और वे प्रतिदिन के साधारण कार्यों की भी कार्यक्षमता बढ़ाने के साधन ढूँढ़ निकालेंगे। इस समस्या का भार विस्तार कार्यकर्त्ता के ज्ञान, चतुरता एवं अनुभव पर निर्भर होगा।

[क्रमशः]

सामुदायिक-संवाद

४४ सामुदायिक विकास खण्डों तथा १४ विकास योजनाओं की अवधि ३ महीने से ले कर एक साल तक बढ़ा दी गई है, जिसमें उनके पास जो रकम बची हुई है, उससे उनके अधूरे काम पूरे किए जा सकें।

२ अक्टूबर १९५२ को आरम्भ हुई ५५ सामुदायिक योजनाएँ और २ अक्टूबर १९५३ को चालू हुई ५३ सामुदायिक विकास खण्ड योजनाओं की अवधि ३० सितम्बर १९५६ को समाप्त होती थी। इन खण्डों की कार्यावधि बढ़ जाने से काफी काम पूरे हो जाएँगे और शेष रकम भी खर्च की जा सकेगी।

निम्नलिखित सामुदायिक विकास खण्डों तथा सामुदायिक योजनाओं की कार्यावधि बढ़ाई गई है:—

आन्ध्र प्रदेश : निजाम सागर सामुदायिक योजना तथा मुलुग और ईचापुलम सामुदायिक विकास खण्ड।

असम : काचर और दारंग सामुदायिक योजनाएँ और उत्तर लखीमपुर सामुदायिक विकास खण्ड।

बम्बई : विजयपुर सामुदायिक योजना।

जम्मू और काश्मीर : लद्दाख सामुदायिक योजना।

केरल : नय्यातिंकारा सामुदायिक योजना।

मध्य प्रदेश : रायपुर और बस्तर सामुदायिक योजना तथा सोहवाल, बजाग, पन्ना और जतारा सामुदायिक विकास खण्ड।

मैसूर : सौरब-शिकारीपुर, दक्षिण कन्नड़, हुकेरी सामुदायिक योजना और कौप्पल तथा गुलबर्गा सामुदायिक विकास खण्ड।

उड़ीसा : जूनागढ़, कलहन्दी, भद्रक-बालासोर और रंसेल कुण्डा सामुदायिक योजना, सुन्दर और नयागढ़ सामुदायिक विकास खण्ड।

पंजाब : जगाधरी और बटाला सामुदायिक योजना तथा बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गन्नौर, खरखोदा, नीलोखेड़ी, थानेश्वर, जगाधरी, बरार, नारायणगढ़, नवाँशहर, बंगा, फिल्लौर, तरन तारन, बटाला, डेरा बाबा नानक, हरगोविन्दपुर, कुलू, धुरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़ और दोराहा सामुदायिक विकास योजना खण्ड।

पं० बंगाल : नलहटी, मुहम्मद बाजार, अहमदपुर, गुस्कारा शक्तिगढ़, झारग्राम, बरुईपुर, फुलिया, हवड़ा, सोनमुखी और दिंहाता सामुदायिक विकास योजना खण्ड।

सामुदायिक योजना के वर्तमान खण्ड

इस समय देश भर में १,८१४ विकास खण्ड चालू हैं। इनमें २५९ ऐसे खण्ड हैं, जहाँ भरपूर विकास कार्य चल रहा है, ५०१ सामुदायिक विकास योजना खण्ड हैं, जो पहले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड थे और १,०५४ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैं। इन १,८१४ विकास खण्डों में १३ करोड़ आबादी के २,३४,९१० गाँव शामिल हैं।

५०१ सामुदायिक विकास खण्डों में ४३ विशेष बहूद्देशीय खण्ड भी शामिल हैं। इसका खर्च सामुदायिक विकास तथा स्वराष्ट्र मन्त्रालय, दोनों मिल कर उठाते हैं।

१९५७-५८ के नए विस्तार खण्ड

राज्य सरकारों के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न राज्यों में १९५७-५८ में ५७३ नए विकास खण्डों में काम शुरू किया जाएगा। इनमें से ३०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड (जिनमें बहूद्देशीय खण्ड भी शामिल हैं) अप्रैल १९५७ में विभिन्न राज्यों में इस प्रकार खोले जाएँगे :

आन्ध्र-२५, असम-८, बिहार-३८, बम्बई-४२, मध्य प्रदेश-३७, मद्रास-१९, मैसूर-१०, उड़ीसा-१८, पंजाब-२५, केरल-८, उत्तर प्रदेश-१८, पश्चिम बंगाल-२०, राजस्थान-१४, जम्मू और काश्मीर-१०, मणिपुर-१, त्रिपुरा-१ अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह-२ और उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण-४।

बाकी ४५२ विकास खण्ड अगले अक्तूबर में खोले जाएँगे, बशर्ते कि आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

१९५७-५८ में खुलनेवाले विकास खण्ड

१९५७-५८ में कुल ७५,३१३ गाँवों में, जिनकी आबादी ४ करोड़ ८१ लाख है, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जाएँगे।

विभिन्न राज्यों में खोले जानेवाले खण्डों के गाँवों की संख्या तथा उनकी आबादी इस प्रकार है:—

राज्य	गाँवों की संख्या	जनसंख्या
आन्ध्र प्रदेश	६,५००	४२ लाख १० हजार
असम	२,१००	११ लाख
बिहार	७,९००	४८ लाख ९० हजार
बम्बई	९,७००	६१ लाख २० हजार

केरल	२,०००	१३ लाख २० हजार
मध्य प्रदेश	७,२००	४३ लाख ५० हजार
मद्रास	४,३००	२८ लाख ३० हजार
मैसूर	३,५००	२३ लाख १० हजार
उड़ीसा	५,०००	३२ लाख ६० हजार
पंजाब	३,५००	२३ लाख १० हजार
राजस्थान	२,७००	१७ लाख ४० हजार
उत्तर प्रदेश	१४,८००	९७ लाख ८० हजार
पश्चिम बंगाल	४,२००	२७ लाख ७० हजार
जम्मू और काश्मीर	१,०००	६ लाख ६० हजार
दिल्ली	१००	७० हजार
हिमाचल प्रदेश	२००	१ लाख २० हजार
मणिपुर	२००	९० हजार
त्रिपुरा	२००	९० हजार
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण	१२०	४० हजार
अण्डमान और निकोबार	९२	३० हजार
योग	७५,३१२	४ करोड़ ८१ लाख

पूरे देश में विकास खण्ड खोलने की योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा खण्डों का स्थापना की जानेवाली है। इनमें से कम से कम ४० प्रतिशत को सामुदायिक विकास खण्डों का रूप दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लगभग ३,८०० नए विस्तार सेवा खण्ड खोले जाएँगे और इनमें से कम से कम १,१२० को सामुदायिक विकास खण्डों का रूप दिया जाएगा।

खण्डों पर व्यय

दूसरी योजना में विकास योजनाओं के लिए कुल २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था होने के कारण एक सामुदायिक विकास खण्ड का खर्च १५ लाख रुपए से कम करके १२ लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर होनेवाले खर्च की अधिकतम सीमा भी प्रति खण्ड ४ लाख ५० हजार रुपए से घटा कर ४ लाख रुपए कर दी गई है।

खण्डों की कार्यावधि समाप्त हो जाने पर जो कर्मचारी रख लिए जाते हैं, उन पर होनेवाले आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है।

श्रम गीत

त्रिभुवनसिंह चौहान 'प्रेमी'

श्रम के शिवशंकर के सिर से, शुभगंगा गिरी पसीने की।
हर नगर ग्राम में गूँज उठी, नवजागृति-गीता जीने की॥

श्रम की साधना भगीरथ की,
भू पर गंगा लहराई थी।
साहसी श्रमिक के स्वेद कणों की,
नवसरिता बह आई थी॥
कसमसा उठी थी तरुणाई,
जागृति रक्त में समाई थी।
अम्बर की आभा हीन हुई,
भूपर नवभुपमा छाई थी॥
सुन कर कुदाल-गैती के स्वर,
द्रुत कोटि बाहु थे मचल उठे।
भारत के नवनिर्माण हेतु,
आबाल वृद्ध हो विकल उठे॥

श्रमदान करो, श्रमदान करो,
कह रहा है कब से भू-अम्बर।
भारत का नवनिर्माण करो,
युग-युग से गूँज रहा है स्वर॥
जन मानस का अज्ञान हरो,
भारत के जन जागो सत्वर।
इस धरती का कल्याण करो,
व्यापे फिर सत्यं, शिवं, सुन्दरं॥
श्रम गंगा की इस धारा में,
आओ सब अवगाहन करलो।
कलुषित मानस, संकुचित भाव-
को कर विकसित गागर भर लो॥

'प्रेमी' मधुऋतु श्रमहाला की, छक प्यास बुझाओ पीने की।
श्रम के शिवशंकर के सिर से, शुभगंगा गिरी पसीने की॥

प्रगति के पथ पर

छोटे उद्योगों के विकास के लिए दस लाख रुपए

भारत सरकार ने राजस्थान, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और त्रिपुरा को छोटे उद्योगों के विकास के लिए १० लाख रुपए की सहायता देना स्वीकार किया है। इसमें से राजस्थान सरकार को प्लास्टिक का समान तथा खिलौने बनाने के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने और हल्के रासायनिक उद्योगों का काम सिखाने के लिए केन्द्र खोलने के लिए २८,००० रुपए दिए गए हैं। प्लास्टिक का समान और खिलौने बनाने का प्रशिक्षण-केन्द्र जयपुर में खोला जाएगा।

त्रिपुरा को ८१,००० रुपए दिए गए हैं। इससे वहाँ चमड़े का सामान बनाने, लोहारी, मिट्टी के बर्तन बनाने और बढ़ईगिरी का चलता-फिरता प्रशिक्षण स्कूल जारी रखा जाएगा।

मैसूर सरकार ने हाथ से चलनेवाली बुनाई की मशीनों से ऊनी बनियानें बनाने और उनका काम सिखाने के लिए एक योजना बनाई है। इसके लिए उसे ५६,००० रुपए दिए गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में कदपा और तदपलिगुदम में एक-एक इंजीनियरी कारखाने खोले जाएँगे। मुर्शिदाबाद के सरकारी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण-केन्द्र में बिजली से चलनेवाली छोटी मशीन चलाना सिखाने की जो योजना चल रही है, वह आगे भी जारी रहेगी। ये योजनाएँ शुरू की जाएँगी—विजयवाड़ा में चमड़े का आधुनिक सामान बनाने का कारखाना, विशाखापत्तनम में लकड़ी का सामान बनाने और काम सिखाने का केन्द्र, और चित्तूर में बढ़ईगिरी का काम सिखाने के लिए चलता-फिरता कारखाना। ये योजनाएँ जारी रहेंगी—अनकपल्ली और विजयनगरम् में पत्थर का सामान और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की योजना, मुलुग में लकड़ी का सामान बनाने और विजयवाड़ा में साइकिल के पुर्जे बनाने की योजना। आन्ध्र प्रदेश को उक्त सभी योजनाओं के लिए ८ लाख ५० हजार रुपए से ऊपर धन दिया गया है।

मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पालन

मैसूर में १९५७-५८ में समुद्र और नदी-झील आदि में मछली पकड़ने और पालने को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को ८.०५ लाख रुपए दिए गए हैं। मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाने की ४५,००० रुपए की एक और योजना भी सरकार को प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

मछली पालने और पकड़ने की उन्नति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश को ६.१८ लाख रुपए का अनुदान और २२,००० रुपए कर्ज देना स्वीकार किया गया था। दूसरी योजना (२५ जुलाई, १९५७तक) में ४.४६ लाख रुपए अनुदान और २ लाख रुपए कर्ज के लिए रखे गए हैं। यह धनराशि अधिक अन्न उपजाने के कोष से दी गई है। पहली योजना में मत्स्य उद्योग के लिए कोई खास रकम नहीं रखी गई थी लेकिन दूसरी योजना में अधिक अन्न उपजाने की योजना के अन्तर्गत इसके लिए ६०.१७ लाख रुपए (राज्यों के हिस्से समेत) रखे गए हैं।

कपास की विकास योजनाएँ

१९५५-५६ में कपास की ४४ गवेषणा योजनाएं चल रही थीं और इसके फलस्वरूप कपास की ११ किस्में निकाली गई। इनमें से खेती करने के लिए ४ किस्मों की सिफ़ारिश की गई।

बीज बढ़ाने और उन्हें बाँटने की २४ योजनाएँ चल रही हैं और सुधरे किस्म के बीजों की खेती का क्षेत्रफल १९५४-५५ के १ करोड़ १७ लाख एकड़ से बढ़ कर १९५५-५६ में १ करोड़ ३६ लाख एकड़ हो गया। इस प्रकार खेती में १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सुधरे किस्म के बीजों से किसानों को १४ करोड़ ४० लाख रुपए की अतिरिक्त आय हुई।

१९५५-५६ में विभिन्न योजनाओं पर १२ लाख ५६ हजार रुपए खर्च हुए। इसमें से १० लाख ६५ हजार रुपए कपास सम्बन्धी गवेषणा पर, १ लाख ७० हजार रुपए बीज, उन्हें बढ़ाने और बाँटने की योजनाओं पर और २१ हजार रुपए फसल का सर्वे करने और उसे बेचने पर खर्च हुए। प्रत्येक राज्य में कितना खर्च हुआ, इसके आँकड़े जमा किए जा रहे हैं।

१९५६-५७ में ईख की उपज में १२.८ प्रतिशत वृद्धि

केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अर्थ तथा अंक विभाग के १९५६-५७ के अन्तिम अखिल भारतीय प्राक्कलन में चालू वर्ष में ईख का क्षेत्रफल ५० लाख १९ हजार एकड़ और उपज ६ करोड़ ६८ लाख टन आँकी गई है। १९५५-५६ में ईख का का क्षेत्र ४५ लाख ६४ हजार एकड़ और उपज ५ करोड़ ९३ लाख १७ हजार टन थी। इस प्रकार पिछले साल की अपेक्षा क्षेत्रफल में ४ लाख ५५ हजार एकड़ या १० प्रतिशत और उपज में ७५ लाख ७३ हजार टन या १२.८ प्रतिशत वृद्धि हुई।

ईख की खेती का क्षेत्रफल इस साल प्रायः सभी राज्यों में और खास कर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई और बिहार में बढ़ा। उपज में वृद्धि भी प्रायः सभी राज्यों में और मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, मैसूर, मद्रास और राजस्थान में हुई। इसका एक कारण ईख के क्षेत्र में वृद्धि होना और दूसरा फसल बढ़ने के समय मौसम का अच्छा होना था। पंजाब, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में ईख की उपज में इस साल कुछ कमी हुई।

बिजली-उत्पादन में वृद्धि

१९५५ में देश में बिजली का उत्पादन १९५१ के उत्पादन से २,७३,४०,४८,००० किलोवाट घण्टे बढ़ कर ८,५९,२४,५१,००० किलोवाट घण्टे हो गया। बिजली का इस्तेमाल करनेवालों की संख्या १९५५ में बढ़ कर २५,०८, ५८० हो गई, जबकि १९५१ में १६,७७,८०५ थी। सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करनेवालों की संख्या १९५१ में २४,३९५ थी, जो १९५५ में बढ़ कर ४६, ६२६ हो गई।

१९५५ में ५,००० से कम आबादीवाले ५,०१६ और ५,००० से अधिक आबादीवाले १,९६५ कस्बों में बिजली पहुँच चुकी थी। १९५१ में यह संख्या क्रमशः ३,०१९ और १,०३२ थी।

१९५५ में भी बिजली उत्पादक कारखानों के राष्ट्रीयकरण का काम जारी रहा और विभिन्न राज्य सरकारों ने नगरपालिकाओं के तीन तथा १४ निजी कारखानों को अपने हाथ में ले लिया।

राजस्थान में ९२ सूचना और सामुदायिक केन्द्र

राजस्थान सरकार ने प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक-एक सूचना तथा सामुदायिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। इस समय वहाँ ९२ खण्ड हैं और इस प्रकार केन्द्रों की संख्या भी ९२ होगी। ये केन्द्र प्रत्येक खण्ड के प्रधान कार्यालय में होंगे।

सूचना और सामुदायिक केन्द्र खोलने का कार्यक्रम सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने केन्द्रीय सूचना और प्रसार मन्त्रालय और राज्यों के सूचना विभागों के सहयोग से १९५५ में शुरू किया था। उद्देश्य यह है कि लोग इन केन्द्रों में आ कर समाचार और सूचनाएँ जानने के अलावा मिल कर अपनी समस्याओं पर विचार करें और उन्हें सुलझाने के उपाय सोचें।

सारे भारत में अब तक ९९६ सूचना और सामुदायिक केन्द्र खोले जा चुके हैं। दूसरी योजना के अन्त तक देश भर में इस तरह के ४,८०० केन्द्र हो जाएँगे।

★

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २.५० रुपये : एक प्रति २५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

वार्षिक मूल्य २.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-८

हमारे हिन्दी प्रकाशन

	मूल्य	डाक व्यय		मूल्य	डाक व्यय
आँसू अब मुस्कान बने	०·१०	०·०५	समाज और संस्कृति	०·५०	०·१०
राष्ट्र के संचार साधन	०·१०	०·०५	नौवाँ वर्ष	१·५०	०·३५
योजनाओं से समाजवाद की ओर	०·१०	०·०५	छठा साल	१·५०	०·३५
नई समाज-व्यवस्था की ओर	०·१०	०·०५	तीसरा साल	१·५०	०·३५
अन्न और खेती	०·१०	०·०५	हमारा झंडा	०·५०	०·१०
उद्योग-धन्धों का विस्तार	०·१०	०·०५	वैदिक साहित्य	०·३५	०·१०
तुलसीदास : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०	कबीर : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०
सामाजिक मनोविज्ञान	०·५०	०·२०	रेडियो विकास योजना	०·३५	०·१०
हिन्दी का भावी रूप	०·३५	०·१०	प्रयाग दर्शन	०·२५	०·१०
भारत १९५६	४·५०	१·००	भारत की कहानी	०·७५	०·२०
भारत १९५४	७·५०	१·३५	एशिया अफ्रीका सम्मेलन	०·२५	०·१०
भारत की एकता का निर्माण	५·००	१·३५	आदर्श विद्यार्थी बापू	०·३५	०·१०
स्वाधीनता और उसके बाद	५·००	१·३५	यह बनारस है	०·२५	०·१०
शान्ति तथा सद्भावना की ओर	०·५०	०·१०	जातक कथाएँ	०·७५	०·२५
जवाहरलाल नेहरू के भाषण			सरल पंचतन्त्र भाग १	०·७५	०·२०
भाग ६	०·०५	०·०५	भाग २, ३, ४ तथा ५ प्रत्येक	०·३५	०·१०
भाग ७ व ८ प्रत्येक	०·१०	०·०५	हमारे नए सिक्के	०·२५	०·०५
तपेदिक के रोगियों की देख-भाल	०·३५	०·१२		(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)	

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मगाने पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।
रेखांकित पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्त या सीधे लिखें—

बिज़नेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पो० बा० २०११,

दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8